BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

ORIGINAL APPLICATION NO. - 227 **OF 2026**

IN THE MATTER OF :

Applicant - ANUPAM SINHA
Father's Name - Late. Chandi Das Sinha,
Age - Around 48 Years, Occupation – Business,
Address - H.No. – 68, Rajendra Nagar (New) Colony, P.O. & P.S. – Sakchi, Jamshedpur – 831001. District East Singhbhum, Jharkhand.
Ph. – 9431166737, ***E-mail*** – ***asinha4u.jsr@gmail.com***
Associated Identity : Resident of Rajendra Nagar (New) Colony and a Member of its Welfare Committee And
Member of Jamshedpur Cooperative House Building Society Ltd.

... APPLICANT

VERSUS

1. **Jamshedpur Co-operative House Building Society Limited**
   (Registered Society) Represented through its Committee of Management :
   President – S.K.Pandey (@ Srikrishna Pandey)
   Vice President – Ashish Kumar Roy
   Committee Members – Sajal Guha, Gouri Shankar Mohanty and A.Vishwanath (@ Vanu Rao)
   Address - Rajendra Nagar, P.O. & P.S. – Sakchi, Jamshedpur – 831001. District East Singhbhum, Jharkhand.
   E-Mail **– *jchbsltd@gmail.com***
2. **Rajendra Nagar (New) Colony Welfare Committee**
   Through its Secretary, Treasurer and Executive Committee Members.
   Address - Rajendra Nagar (New) Colony, Sakchi, Jamshedpur – 831001, District East Singhbhum, Jharkhand.
3. **The Deputy Commissioner / District Magistrate, East Singhbhum.**
   Office of the Deputy Commissioner, Jamshedpur – 831001, Jharkhand.
   E-Mail - ***dc-jsr@nic.in***
4. **District Cooperative Officer, East Singhbhum.**
   Office of the District Cooperative Officer, Jamshedpur – 831001, Jharkhand. ***E-Mail*** - ***dcocopjsr@gmail.com***

Anupam Sinha
29/10/26.

5. **Tata Steel Utilities and Infrastructure Services Limited (Tata Steel UISL), formerly known as JUSCO (Jamshedpur Utilities and Services Company);**
   Represented by its – Managing Director.
   Sakchi Boulevard Road, Northern Town, Bistupur, Jamshedpur – 831001.
   District East Singhbhum, Jharkhand.
   E-mail - ***corpcomm.tatasteeluisl@tatasteel.com***

...RESPONDENT(S)

MEMORANDUM OF APPLICATION UNDER SECTION 14 READ WITH SECTION 15 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. PARTICULARS OF THE APPLICANT:

The above named Applicant is a resident of Rajendra Nagar (New) Colony, Sakchi, Jamshedpur, Jharkhand, which is a residential cooperative Colony under the Jamshedpur Cooperative House Building Society Ltd. (Registered Housing Society). The Applicant is an aggrieved citizen deeply concerned about the severe ecological damage and threat being caused to mature trees, green patches and public common areas of the Society, within the residential Colony.

2. PARTICULARS OF THE RESPONDENTS:

i. **Respondent No. 1 & 2:** The entities actively executing the illegal infrastructure work without any kind of permission or approval from the competent authorities and in violation of environmental norms and Guideline / Orders of the Hon'ble NGT (National green Tribunal).

ii. **Respondent No. 3 & 4:** Statutory and Administrative Authorities, at the District Level of East Singhbhum District; responsible for regulating urban development and enforcing environmental protections in East Singhbhum district, who despite repeated complaints and representations from the Applicant and also the President-Cum-Convenor of the Welfare Committee have failed to halt the ongoing violations. The Respondent No. 4 (District Cooperative officer) is the Administrative Authority specifically related to Cooperative Societies.

29/10/24.

iii. **Respondent No. 5** - Subsidiary of M/s. Tata Steel, responsible for regulating urban development and town affairs within the Tata Steel Sub-Lease Area of Jamshedpur and is also the Electricity Service Provider of Rajendra Nagar Colony, Sakchi, Jamshedpur.

3. PARTICULAR DETAILS OF THE GRIEVANCE:

i. This application is being preferred against the illegal, unscientific and environmentally destructive installation of an Electricity Supply and Distribution network, including 440V High Voltage Electrical Feeder Pillar Boxes and 3-Phase Heavy Electrical Cables, directly around a public playground and immediately adjacent to mature, 35 – 40 year old Trees.

ii. A particular Tree whose roots have been severely damaged during excavation to construct the concrete foundation of an Electrical Feeder Box is only 1(one) single Tree in entire Jamshedpur city.

iii. The excavation work has severely damaged the root systems of these legacy trees. Furthermore, heavy electrical distribution feeder boxes have been installed almost touching the tree trunks, exposing them to continuous flow of High Voltage Electricity generating Inductive Electrical Current that will gradually damage and kill the Trees over a period of time.

iv. To secure these illegal structures and also to cover-up some Encroachments, the Respondents No. 1 & 2, have carried out extensive concretization right and civil work right up to the Tree Trunks, choking the soil, choking the trees and sealing vital green patches that serve as primary natural zones for rainwater harvesting and groundwater recharge, as well.

v. The Applicant submits **Pictures** reflecting the aforementioned illegal and destructive activities **(Enclosed herewith as Annexure - 1 Series)**.

vi. The Applicant also submits a **Pen Drive – Make : Sandisk Cruzer Blade** Containing the Pictures and some **Videos (in mp4 Format)** showing – How the Roots of Mature Trees were excavated and cut-off to pieces during the Excavation Work.

29/10/26.

vii. The Applicant has repeatedly submitted several Complaints regarding such illegal and prohibitory activities to the Respondents No. 3, 4 & 5; yet no corrective action has ever been taken by the Respondents No. 3, 4 & 5.

viii. The Applicant submits the **Copies of the several Complain Letters** written to the Respondents **(Enclosed herewith as Annexure – 2 Series)** for the kind Perusal of the Hon'ble Tribunal.

4. VIOLATION OF SPECIFIC ENVIRONMENTAL NORMS AND NGT ORDERS:

i. **Violation of De-Concretization Mandates:** The action directly violates the Judgement / Orders of this Hon'ble Tribunal (including *Aditya N. Prasad v. Union of India & Ors.*), which strictly command that a **clear, un-concretized space of at least 1 Meter (3.3 Feet - Radius)** must be left around all Tree Trunks to allow breathing space and water percolation.

ii. **Damage to Living Root Systems:** Unscientific trenching and heavy excavation immediately next to Trees violates fundamental conservation principles under the Forest Conservation frameworks, as it destabilizes mature trees, rendering them vulnerable to uprooting, over time.

iii. **Encroachment and Diverting Common Green Areas:** The infrastructure is being placed deceptively to mask and cover-up illegal encroachments of common areas of the Society, by certain members, violating the Public Trust Doctrine.

5. FACTS OF THE CASE (Chronological Order):

i. That, within the Rajendra Nagar (New) Colony, Sakchi, Jamshedpur; there exists a public playground bordered by many mature trees aged between 35 and 40 years (primarily meant for the children and elderly people of the Society), providing essential green canopy and acting as a natural source for rainwater percolation and groundwater recharge.

ii. That, recently, Respondent Nos. 1 & 2 commenced heavy excavation work utilizing unscientific methods directly beneath and adjacent to the roots of these mature trees to lay heavy 3-Phase underground Electrical Cables and to prepare the foundation pedestal of the 440V Electrical Feeder Boxes for electricity distribution, within the Colony.

29/10/26.

iii. That, during this excavation, substantial portions of the primary root structures of these mature trees were chopped-off in pieces thereby permanently damaging the roots.

iv. That, subsequently, 440V High Voltage Feeder Pillar Boxes for Electricity Distribution were erected immediately flush against the tree trunks, along with Concreting in the Foundation and Cement and Brick Structures erected over the surrounding soil and base of the trees.

v. That, presently, an overhead Electricity Distribution system already exists with Over-Head Wires running around the Outer Periphery almost 15-20Ft. away from these Trees and the Green Patch, which just needs to be made Underground along its existing path. But the alleged illegal activities are being done primarily to deceptively mask and cover-up the illegal encroachments of common areas of the Society, by certain members. The alleged illegal infrastructural arrangement was chosen intentionally to obstruct access to and cover up pre-existing illegal encroachments on common Society's Land.

vi. That, the applicant made several representations to the Respondents to review and halt this destruction, but the Respondents No. – 1 & 2, have continued the work unabated, causing irreversible damage to the local ecology.

6. GROUNDS:

i. Because the actions of the Respondents are accelerating the death of 35 - 40 year old mature Trees (one specific Tree being extremely rare and unique), which cannot be easily replaced, leading to a direct loss of local green cover.

ii. Because choking the base of the Trees with Concrete violates the Precautionary Principle and Sustainable Development under Section 20 of the NGT Act, 2010.

iii. Because sealing the soil around the playground drastically reduces the groundwater percolation and recharge potential of the area, worsening urban water stress in Jamshedpur.

29/10/24.

7. LIMITATION:

The application is within the limitation period of 6 months prescribed under Section 14(3) of the National Green Tribunal Act, 2010, as the illegal excavation and construction activities are ongoing and arose within the last few weeks.

8. RELIEF SOUGHT / PRAYER :

In view of the facts and grounds mentioned here-in-above, the Applicant most respectfully Prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

i. Consider the urgency and criticality of the matter and to prevent irreversible damage to the Trees, may kindly pass an Interim Order directing Respondent Nos. 1 & 2 to immediately cease all further excavations, civil construction, cable-laying and installation of Electrical Feeder Boxes for Electricity Distribution within the playground perimeter and root zones of the Trees, along the perimeter of the children's playground.

ii. Direct Respondent Nos. 3, 4 and 5 to dismantle and remove the Electrical Feeder Boxes and Concrete / Cemented Structures within 1 - Meter Radius of all Tree Trunks to restore soil permeability.

iii. Direct Respondent No. 5 - **Tata Steel Utilities and Infrastructure Services Limited (TSUISL)**, formerly known as **JUSCO** to conduct an immediate site inspection, assess the ecological damage and impose an Environmental Compensation Fee on the defaulting Society Members under the "Polluter Pays" principle.

iv. This Hon'ble Tribunal may draw Contempt against the Respondents and Order a comprehensive inquiry into the ongoing illegal and prohibitory activities and also the illegal encroachments on common Society's Land, being masked by these activities.

v. Pass any such further Order(s) as this Hon'ble Tribunal may deem fit in the interest of preserving the environment.

PLACE : JAMSHEDPUR.

DATE: 29/10/2026.

[SIGNATURE OF APPLICANT]

VERIFICATION

I, ANUPAM SINHA, son of Late. Chandi Das Sinha, resident of H.No. – 68, Rajendra Nagar (New) Colony, P.O. & P.S. – Sakchi, Jamshedpur – 831001. District East Singhbhum, Jharkhand; the Applicant above-named, do hereby verify that the contents of the foregoing paragraphs are true to the best of my personal knowledge derived from the site conditions at Rajendra Nagar (New) colony, Jamshedpur and some other paragraphs are based on legal advice received, and I believe them to be true and correct.

Verified at Jamshedpur on this 29th. day of October, 2026.

29/10/26.

[SIGNATURE OF APPLICANT]

LIST OF ANNEXURES : **PAGE NOS.**

1. **Annexure – 1 (Series) : PICTURES**

- Pictures of Damaged roots due to Excavation (Dated – 12th & 13th October, 2026) — **11 - 15**
- Pictures of Concretization & Cement/Brick Work done as Foundation — **16**
- Picture of Stay Order of the DCO (Pasted on Tree Trunk) — **17**
- Picture of Electrical Feeder Box fixed just Beside Trees Dated - 27th October, 2026. — **18 - 21**
- Pictures of Concretization done earlier in July/August 2026 — **22 - 25**

2. **Annexure – 2 (Series) : COMPLAINT LETTERS / GOVT. ORDERS**

- Copy of Complaint Letters to JCHB Society Ltd. / MD, Tata Steel UIS Ltd. And Head Town Electrical Dept. (Tata Steel – Power Division) **Letters Dt. – 20.01.2026 & 21.01.2026** — **26 - 29**
- Copy of Complaint Letters to JCHB Society Ltd. / MD, Tata Steel UIS Ltd. And Head Town Electrical Dept. (Div. Mgr. - Jamshedpur Power Services) **Letters Dt. – 21.01.2026** — **30 - 32**
- Copy of Complaint Letters to JCHB Society Ltd. / Deputy Commissioner / MD, Tata Steel UIS Ltd. / Chief Div. Mgr. - Jamshedpur Power Services) **Letters Dt. – 03.02.2026** — **33**
- Copy of E-mail sent to VP, Corporate Services (Tata Steel) – **06.02.2026** — **34**
- Copy of Complaint Letter to District Cooperative officer **Dt. – 09.02.2026** (Copy submitted to Deputy Commissioner, East Singhbhum) — **35 - 46**
- Government Order from DCO To JCHB Society Ltd. **Dt. – 10.04.2026** — **47 - 48**
- Order from JCHB Society Ltd. **Dt. – 18.05.2026** (Served To The Secretary Rajendra Nagar New Welfare Committee) — **49 - 51**
- Complaint Letters to JCHB Society against NGT Violations **Dt. – 22.07.2026** — **52 - 54**
- Complaint Letter to DCO by President of Welfare Committee – **30.07.2026** — **55 - 56**
- Copy of e-mail - Jharkhand State Commission for Protection of Child Rights — **57**
- Copy of e-mail sent to Department of Women, Child Development & Social Security **Dt. – 26.07.2026** — **58**
- Copy of Complaint Letter to District Cooperative officer **Dt. – 08.10.2026** (Copy submitted to Deputy Commissioner, East Singhbhum) — **59 – 65**
- Stay Order by District Cooperative officer **Dt. – 13.10.2026** — **66 - 67**
- Copy of Complaint Letter to deputy Commissioner, East Singhbhum Letter **Dt. – 23.10.2026** — **68 - 73**
- Order of the DCO, East Singhbhum to JCHB Society Ltd. **Dt. – 24.10.2026** (To Execute the Jobs Lawfully within the Provisions of the Society Act and As per Rules & Regulations of the JCHB Society Ltd.) — **74**
- Complaint To Jharkhand State Commission for Protection of Child Rights — **75 - 76**
- Letter from The commission to the Deputy Commissioner, East Singhbhum — **77**

29/10/26.

AFFIDAVIT

I, **ANUPAM SINHA**, son of Late. Chandi Das Sinha aged around 48 Years, Resident of H.No. – 68, Rajendra Nagar (New) Colony, P.O. & P.S. – Sakchi, Jamshedpur. PIN – 831001. District East Singhbhum, Jharkhand; do hereby solemnly affirm and declare as follows:

1. That, I am Indian citizen by birth and the complainant in this case.
2. That, there are No other case(s) filed and/or pending in this Hon'ble Tribunal or any other court/Tribunal, with respect to the matters referred hereinabove.
3. That, the contents in the foregoing Paragraphs of this Petition are true and correct to the best of my knowledge, belief and information and I sign on this the 28th day of October, 2026, at Jamshedpur.

28/10/2026.

Deponent

Deponent put signature before me.

Pradip Kumar Singh
Advocate.

Notary Public

28/10/26

Attested the Signature of the Executants who is Identified by Sri P. K. Singh Advocate Civil Court, Jamshedpur

BASANT KUMAR TIWARI
NOTARY PUBLIC
Govt of India

28/10/26

भारत सरकार

आधार

भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Enrolment No.: 1193/60344/05921

Download Date: 01/09/2021

To
Anupam Sinha
S/O: Chandi Das Sinha
68
Rajendra Nagar, Sakchi
PO-Sakchi
Kalimali
Jamshedpur
East Singhbhum Jharkhand - 831001
9431166737

Issue Date: 28/05/2013

Validity unknown

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

8894 2370 3366

VID : 9197 3997 3408 5755

मेरा आधार, मेरी पहचान

Government of India

AADHAAR

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- सुरक्षित QR कोड / ऑफलाइन XML / ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से पहचान प्रमाणित करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- Verify identity using Secure QR Code/ Offline XML/ Online Authentication.
- This is electronically generated letter.

- आधार देश भर में मान्य है ।
- आधार कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को पाना आसान बनाता है ।
- आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट रखें।
- आधार को अपने स्मार्ट फोन पर रखें, **mAadhaar App** के साथ।

- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar helps you avail various Government and non-Government services easily.
- Keep your mobile number & email ID updated in Aadhaar.
- Carry Aadhaar in your smart phone – use mAadhaar App.

भारत सरकार
Government of India

आधार

Download Date: 01/09/2021



Anupam Sinha
Date of Birth/DOB: 07/06/1978
Male/ MALE

Issue Date: 28/09/2013

8894 2370 3366

VID : 9197 3997 3408 5755

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

AADHAAR

Address:
S/O: Chandi Das Sinha, 68, Rajendra Nagar, Sakchi, PO-Sakchi, Kalimali, East Singhbhum, Jharkhand - 831001

8894 2370 3366

VID : 9197 3997 3408 5755

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

28/10/26.

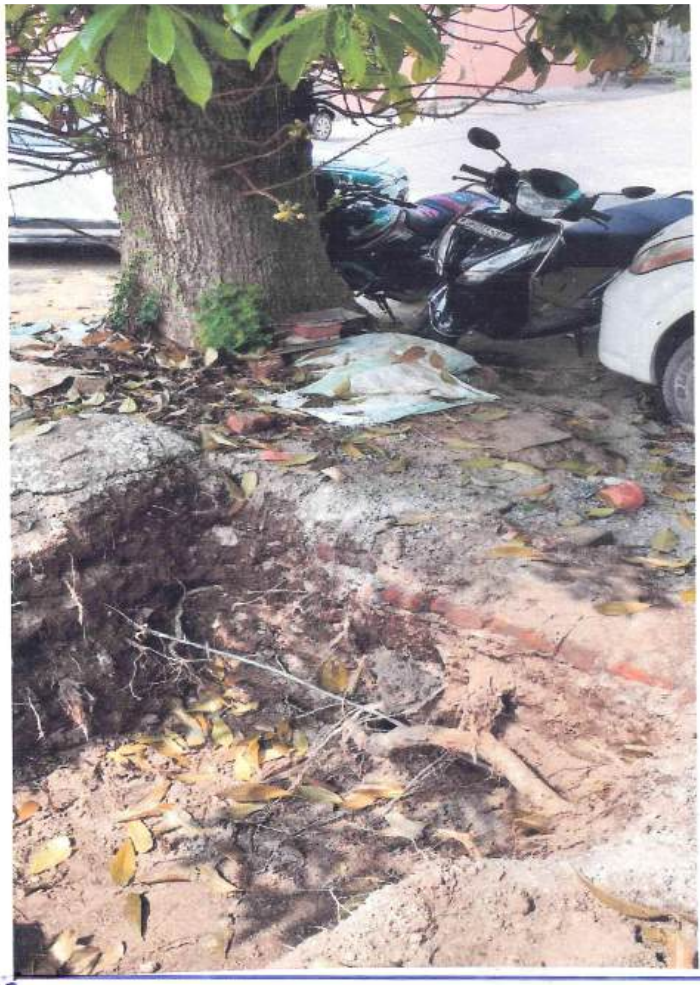



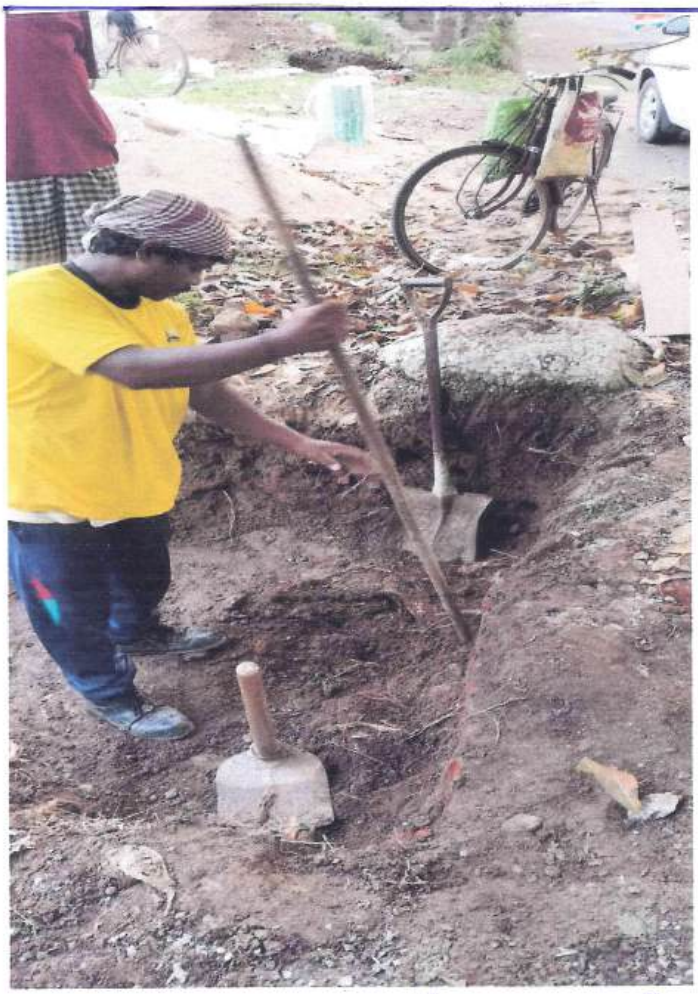



(Page - 11) Pictures of Date - 12th/13th October. '24

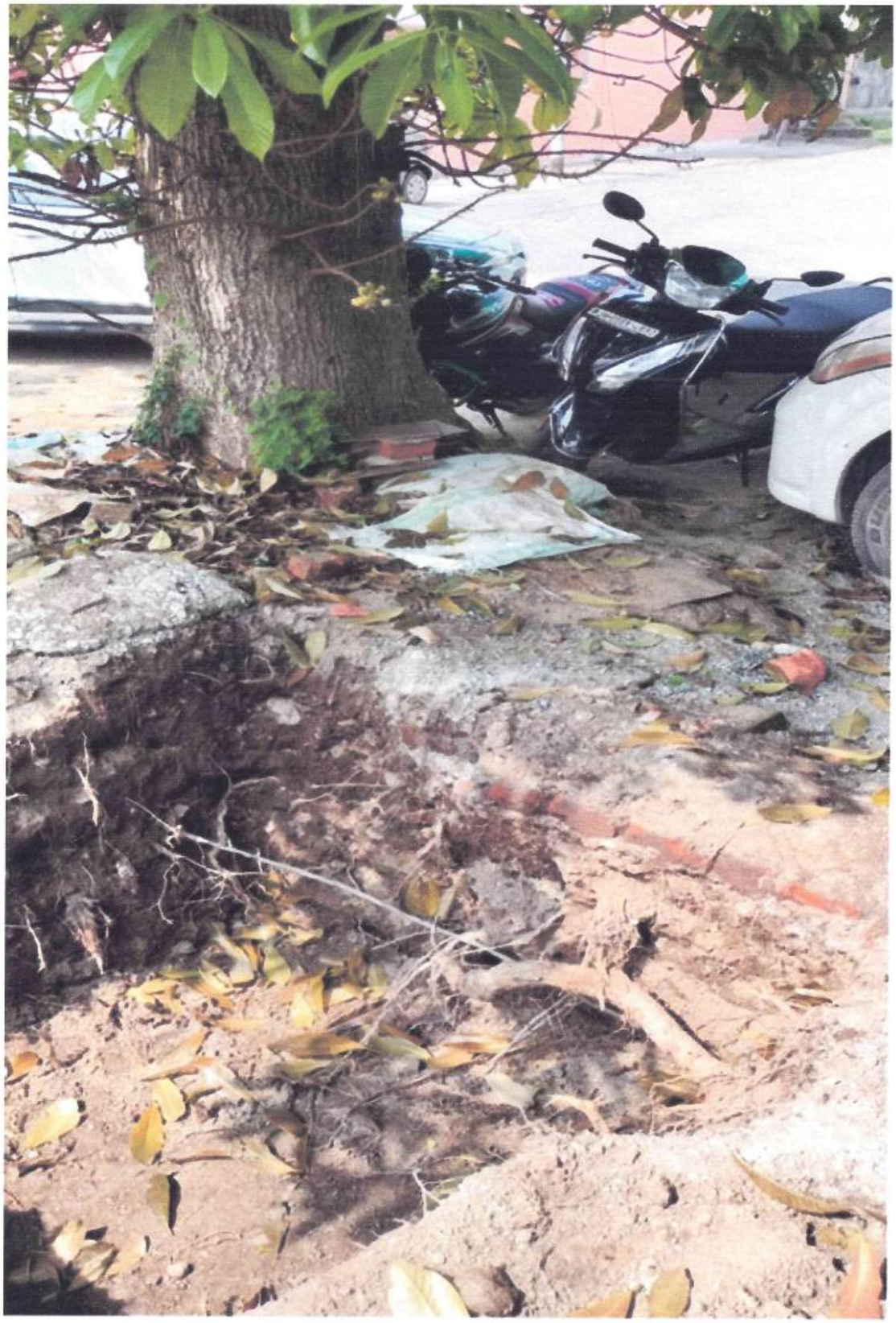

Full Picture of 12 October '26.



12 Oct. 2024
Page. 13.

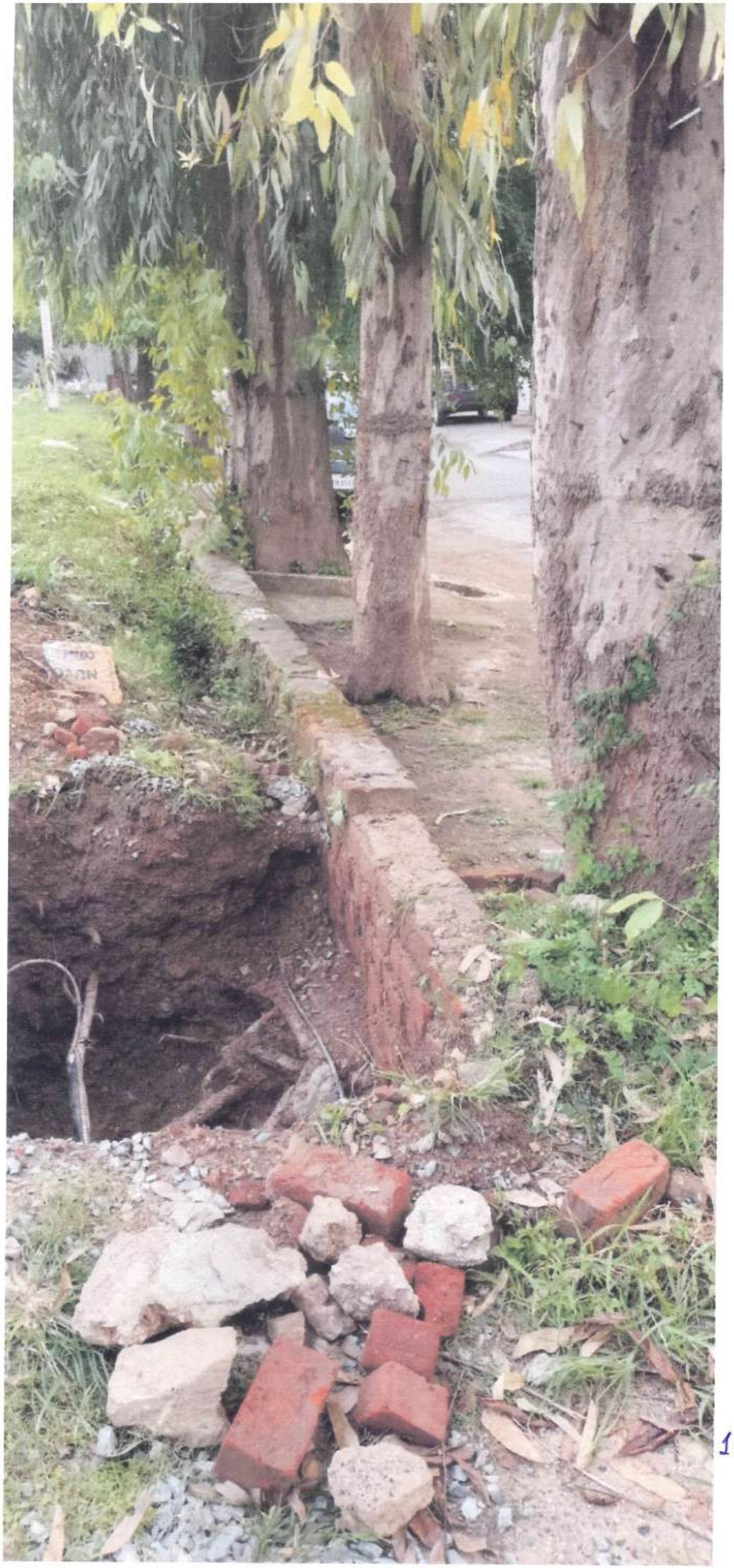

13th. Oct. 20:



13th Oct. 20

Page - 15.

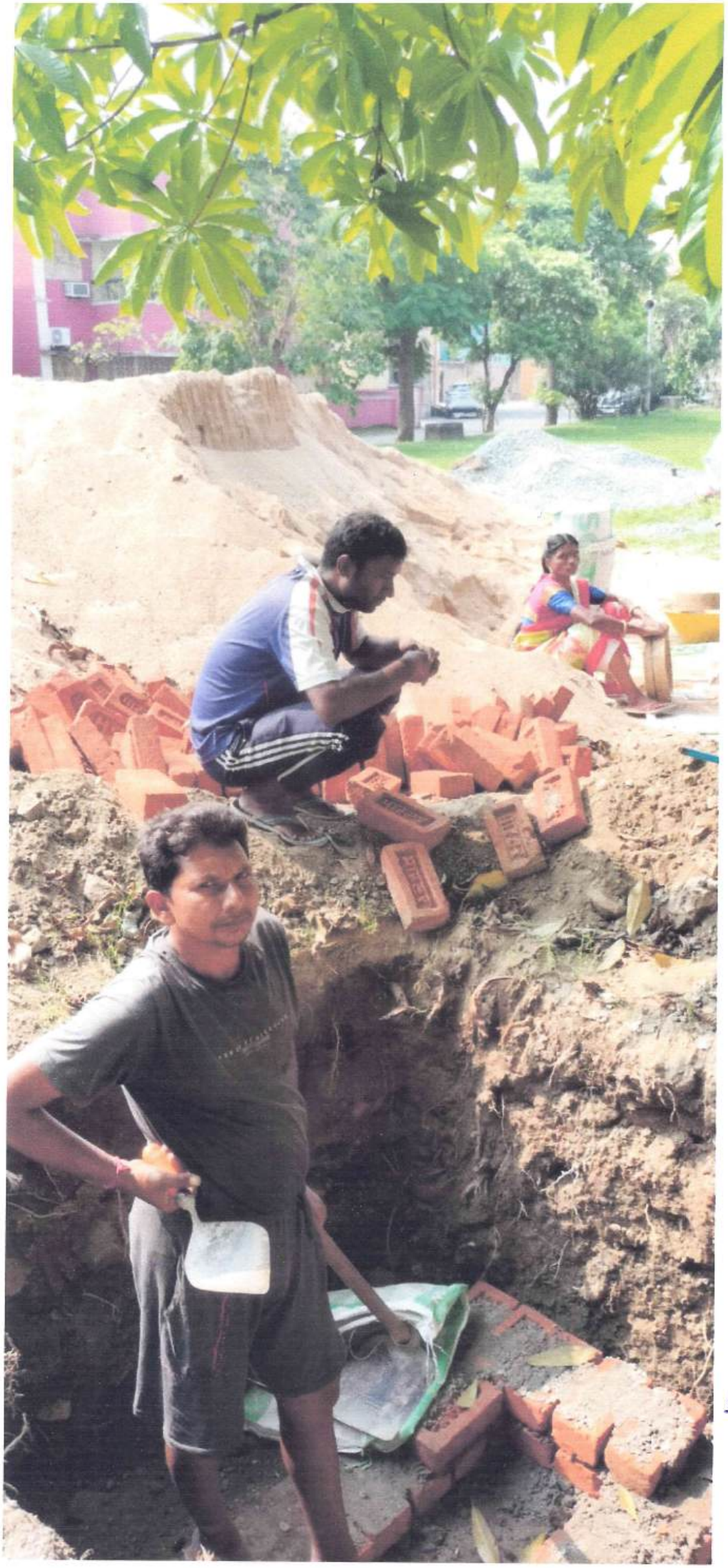

14th. Oct. 2026.



Stay Order

Notice Displayed on 14 Oct. 2026.

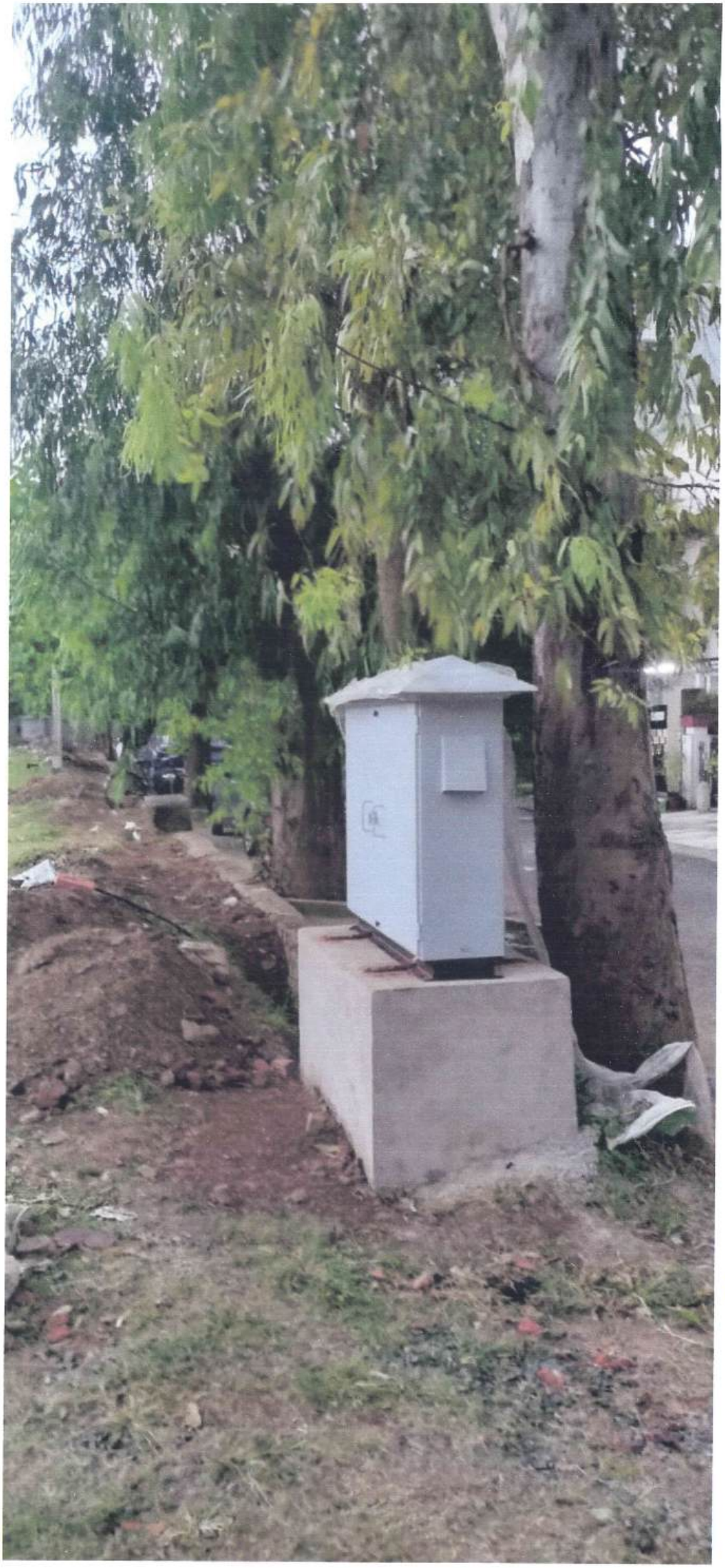

27 October 2026.



(Pg. 19) 27th. October 2021



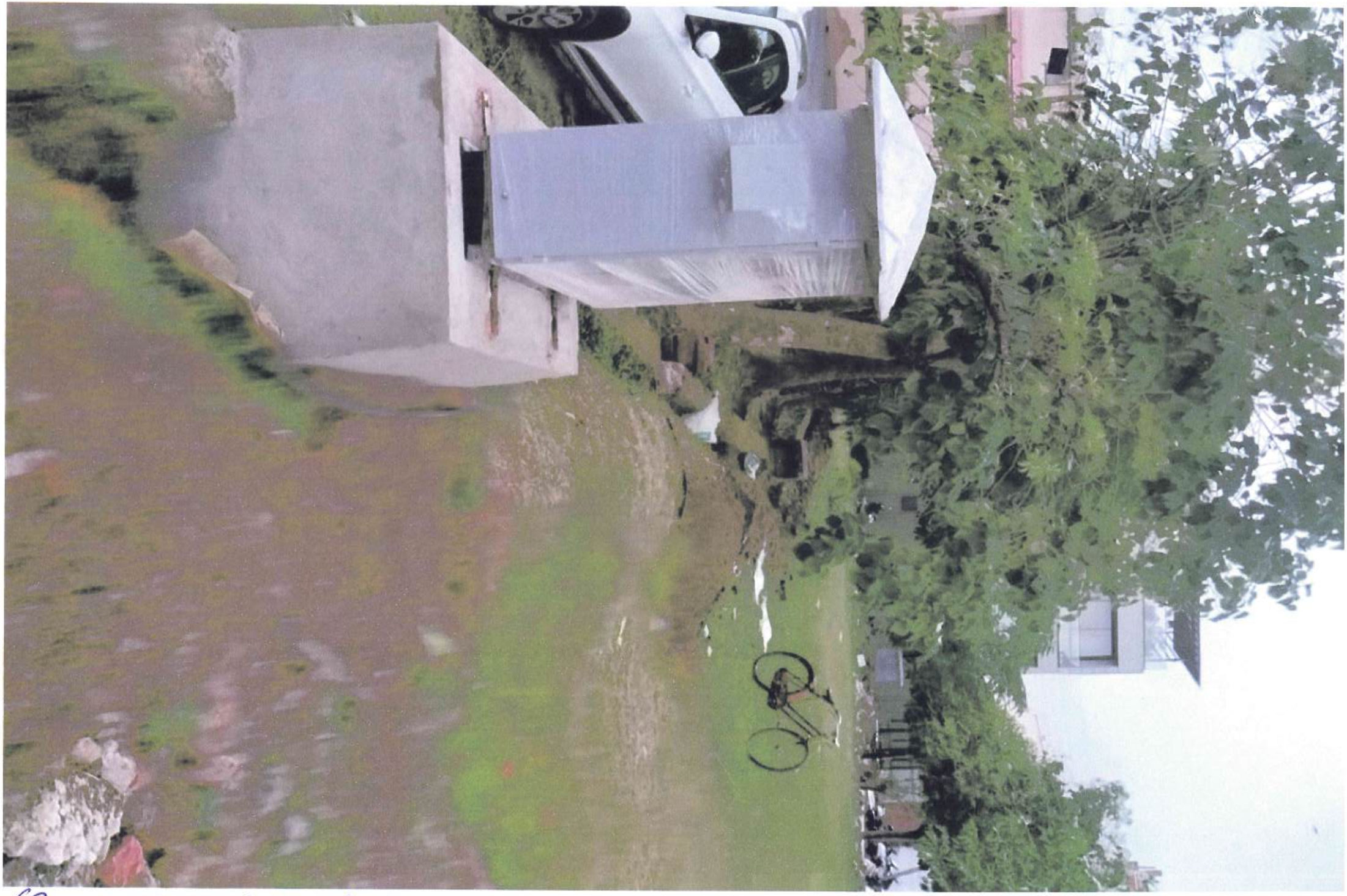

(Page 21) 27th October 2006









Earlier pictures of Concretization.



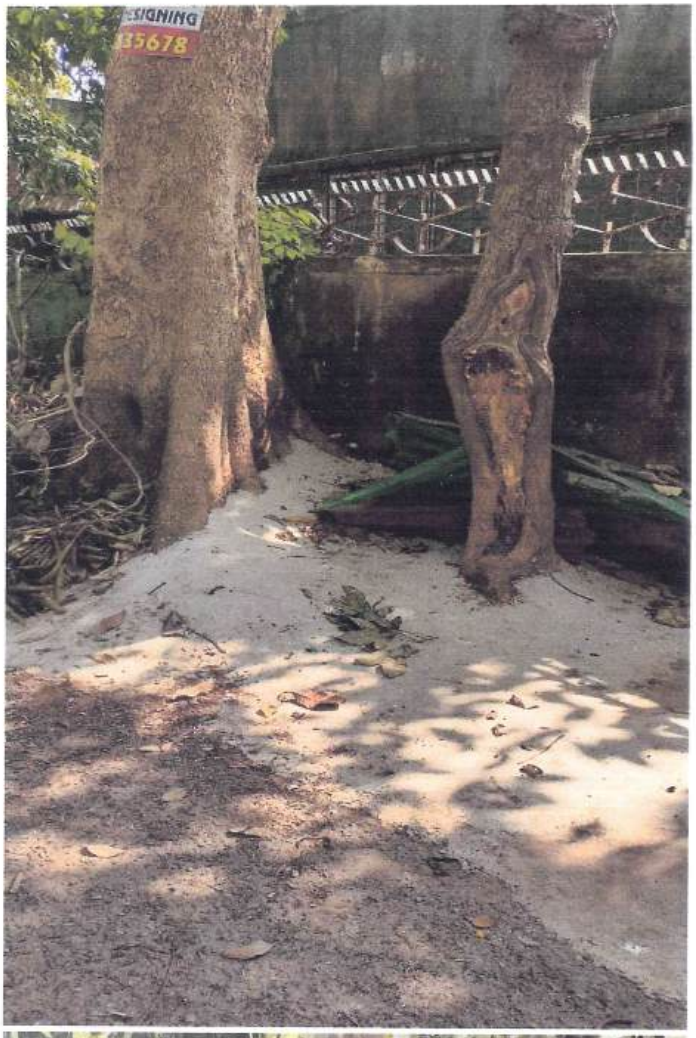
SIGNING
35678







October '26: Fallen Tree due to Storm (Concrete & Power Block - 200 Around)







Earlier Pics of Concretization around Trees. (Around - July/Aug. 2026)

Date – 20/01/2026

To
The President,
Jamshedpur Co-operative House Building Society Ltd.,
Jamshedpur.

Sub. – Request Letter regarding the systematic implementation of the Under Ground Electricity Cabling System and other welfare Activities of our Rajendra Nagar (New) Colony.

Respected Sir,

At the very onset I would like to inform your good self that I am writing this Letter in capacity of being a Plot Holder and Resident of Rajendra Nagar (New) Colony and not as the Asst. Secretary of the Welfare Committee. Now, with reference to the above subject, I would like to bring to your kind attention that, our Rajendra Nagar Co-operative Colony is a Sub-leased Residential Co-operative Colony; under the JCHB Society Ltd. The internal day to day welfare activities and maintenance of our colony is managed by the Rajendra Nagar (New) Welfare Committee, as governed by JCHB Society Ltd.

I would also like to place on record that all the Domestic utility and services, viz.- Electricity, Water supply, Drainage and Sewer System, etc. are being provided to our colony, through M/s. TSUIS Ltd. Our service provider is TATA STEEL (presently through M/s. TSUIS Ltd.) and Rajendra Nagar Colony (Both Old and New – 79 Plots Collectively), under the Estb. No. - 1020024HO502199, BP No. - 0010037472, Cons. No. - 0011809 is the Subscriber (End consumer).

Way back in 2010, M/s. JUSCO had given us 350KVA Load of Power, which as per decisions taken in our Welfare Committee General Body meetings, was to be distributed among all the Plot Holders uniformly. The minutes of all such meetings are well documented and also in the record of the Society Office. The Welfare Committee then, had tried to systematically implement the Power Upgradation work to all the Plots but was illegitimately and forcefully resisted by some specific plot holders. **Most scandalously, right at that time, in the month of May 2012; 4(Four) specific plots (Plot Nos. – 55, 58, 73 & 74) were unlawfully sanctioned Approx. 25-40 KVA of Power each by the Administrator; who in the absence of an Elected Committee was appointed temporarily to take care of day-to-day activities only, without any authority to do any Sanctions, Transfers, etc.**

Infact, on 05/05/2012, our common Switch Room was forcibly opened by breaking the locking arrangements and an electricity connection was directly taken from the switch room to Plot No.- 55, Hotel "The Villa". As per our By-Laws every plot holder is supposed to draw power only from the electricity poles or the junction boxes. Nobody is allowed to take any electricity connection directly from the switch room. The switch room contains the distribution system of both Old and New Colony and is only meant for meter reading for M/s. TSUIS Ltd. and maintenance purposes. Inspite of repeated written and verbal information to the JCHB Society office, no corrective action has been taken in this regard, since then.

20/01/26

The condition of our overhead Electrical System is very critical and requires immediate upgradation. But it is being difficult to systematically implement the upgradation system because of no action or cooperation from the JCHB Society office.

Sir, I would like to bring to your kind attention that the Present Welfare Committee Office bearers along with some other Plot Holders have taken the initiative to get the underground Electricity Cabling Work done but the Technical Proposal / Quotation as shared in the Colony Whatsapp Group and also as I was briefly informed; the Technical Specifications are in Violation of the permissible Load Capacity and Distribution System which was decided by the Former Committees and as is documented in the Minutes of Meeting approved by the Society office. Presently, we have a Total of 350KVA for the 25 Plots of Rajendra Nagar (New) Colony i.e. Approximately 14KVA per Plot. Therefore Mathematically, we can allow every Plot Holder to Draw a maximum of 19.2 Amps. Current on each of the 3 Phases. Theoretically, we must put 20A TPN MCB for every Plot but the Proposed Plan/Quotation includes 63A MCB (more than 3 times). In my opinion to have a fair distribution and also considering the higher load in some Plots, pragmatically, we may fix a Maximum of 25A or 32A MCB thereby giving quite a bit of buffer. Installing a higher rating MCB of 63A will put extra load on the Cables and also Trip the Main Switch repeatedly. M/s.Tata Steel has categorically refused any further Load Enhancement to our Colony under LT. If any Plot Holders needs additional Electricity (For Higher Load) then they are at liberty to apply for the same to Tata Steel directly. The Welfare Committee will have to ensure that the discipline regarding Load Distribution is maintained and also ensure that optimum utilization of the Existing Funds should be done. In my opinion we should take the Help and Guidance of the Electrical Department of Tata Steel and obtain a Technical Plan/Drawing from them on the basis of which we can implement our plan and proceed with Quotations etc.

In view of the above circumstances, I would humbly request you to kindly intervene and arbitrate, in this regard. We as Residents and Members of the Rajendra Nagar (New) Colony, seek your benevolent shelter and guidance regarding the functioning of our Welfare Committee and also to maintain the Civic Law & Order and Cooperativeness within our Colony. We shall remain grateful to your good self, for your kind support and merciful consideration, in this regard. Kindly do the needful and oblige.

Thanking you.

With Regards,

20/03/26.

[ANUPAM SINHA]
Plot No. 68, Rajendra Nagar (New) Colony,
Sakchi, Jamshedpur – 831001.
Ph. – 9431166737.

20/03/26

C.C. :

- MD, M/s. TSUIS Ltd.
- Head, Town Electricity Dept., M/s. TSUIS Ltd.

Content of Letter Dt. 20/01/2026 on Page No. - 26 - 27.

Date-_____

To
The President,
Jamshedpur Co-operative House Building Society Ltd.,
Jamshedpur.

Sub. – Request Letter regarding the systematic implementation of the Under Ground Electricity Cabling System and other welfare Activities of our Rajendra Nagar (New) Colony.

Respected Sir,

At the very onset I would like to inform your good self that I am writing this Letter in capacity of being a Plot Holder and Resident of Rajendra Nagar (New) Colony and not as the Asst. Secretary of the Welfare Committee. Now, with reference to the above subject, I would like to bring to your kind attention that, our Rajendra Nagar Co-operative Colony is a Sub-leased Residential Co-operative Colony; under the JCHB Society Ltd. The internal day to day welfare activities and maintenance of our colony is managed by the Rajendra Nagar(New) Welfare Committee, as governed by JCHB Society Ltd.

I would also like to place on record that all the Domestic utility and services,viz.- Electricity, Water supply, Drainage and Sewer System, etc. are being provided to our colony, through M/s. TSUIS Ltd.Our service provider is TATA STEEL (presently through M/s. TSUIS Ltd.) and Rajendra Nagar Colony (Both Old and New – 79 Plots Collectively), under the Estb. No.- 1020024HO502199, BP No. - 0010037472, Cons. No. - 0011809 is the Subscriber (End consumer).

Way back in 2010, M/s. JUSCO had given us 350KVA Load of Power, which as per decisions taken in our Welfare Committee General Body meetings, was to be distributed among all the Plot Holders uniformly. The minutes of all such meetings are well documented and also in the record of the Society Office.The Welfare Committee then, had tried to systematically implement the Power Upgradation work to all the Plots but was illegitimately and forcefully resisted by some specific plot holders. **Most scandalously, right at that time, in the month of May 2012; 4(Four) specific plots (Plot Nos. – 55,58,73 & 74) were unlawfully sanctioned Approx. 25-40KVA of Power each by the Administrator; who in the absence of an Elected Committee was appointed temporarily to take care of day-to-day activities only, without any authority to do any Sanctions, Transfers, etc.**

Infact, on 05/05/2012, our common Switch Room was forcibly opened by breaking the locking arrangements and an electricity connection was directly taken from the switch room to Plot No.- 55, Hotel "The Villa". As per our By-Laws every plot holder is supposed to draw power only from the electricity poles or the junction boxes. Nobody is allowed to take any electricity connection directly from the switch room. The switch room contains the distribution system of both Old and New Colony and is only meant for meter reading for M/s.TSUIS Ltd. and maintenance purposes.Inspite of repeatedwritten and verbal information to the JCHB Society office, no corrective action has been taken in this regard, since then.

Page - 28.

The condition of our overhead Electrical System is very critical and requires immediate upgradation. But it is being difficult to systematically implement the upgradation system because of no action or cooperation from the JCHB Society office.

Sir, I would like to bring to your kind attention that the Present Welfare Committee Office bearers along with some other Plot Holders have taken the initiative to get the underground Electricity Cabling Work done but the Technical Proposal / Quotation as shared in the Colony Whatsapp Group and also as I was briefly informed; the Technical Specifications are in Violation of the permissible Load Capacity and Distribution System which was decided by the Former Committees and as is documented in the Minutes of Meeting approved by the Society office. Presently, we have a Total of 350KVA for the 25 Plots of Rajendra Nagar (New) Colony i.e. Approximately 14KVA per Plot. Therefore Mathematically, we can allow every Plot Holder to Draw a maximum of 19.2 Amps. Current on each of the 3 Phases. Theoretically, we must put 20A TPN MCB for every Plot but the Proposed Plan/Quotation includes 63A MCB (more than 3 times). In my opinion to have a fair distribution and also considering the higher load in some Plots, pragmatically, we may fix a Maximum of 25A or 32A MCB thereby giving quite a bit of buffer. Installing a higher rating MCB of 63A will put extra load on the Cables and also Trip the Main Switch repeatedly. M/s.Tata Steel has categorically refused any further Load Enhancement to our Colony under LT. If any Plot Holders needs additional Electricity (For Higher Load) then they are at liberty to apply for the same to Tata Steel directly. The Welfare Committee will have to ensure that the discipline regarding Load Distribution is maintained and also ensure that optimum utilization of the Existing Funds should be done. In my opinion we should take the Help and Guidance of the Electrical Department of Tata Steel and obtain a Technical Plan/Drawing from them on the basis of which we can implement our plan and proceed with Quotations etc.

In view of the above circumstances, I would humbly request you to kindly intervene and arbitrate, in this regard. We as Residents and Members of the Rajendra Nagar (New)Colony, seek your benevolent shelter and guidance regarding the functioning of our Welfare Committee and also to maintain the Civic Law & Order and Cooperativeness within our Colony.We shall remain grateful to your good self, for your kind support and merciful consideration, in this regard. Kindly do the needful and oblige.

Thanking you.

With Regards,

[ANUPAM SINHA]
Plot No.68,Rajendra Nagar (New) Colony,
Sakchi, Jamshedpur – 831001.
Ph. – 9431166737.

C.C. :

- MD, M/s. TSUIS Ltd.
- Head, Town Electricity Dept., M/s. TSUIS Ltd.

B/c

Date – 21/01/2026.

To
The President,
Jamshedpur Co-operative House Building Society Ltd.,
Jamshedpur.

Respected Sir,

Sub. – Complaint Letter against multiple irregularities and misconduct, regarding the financial transactions, functioning and administration of our Rajendra Nagar (New) Welfare Committee.

Ref. – My previous Letters Dated – 20.01.2026.

With reference to above, I wish to bring to your kind attention that the present Welfare Committee is trying to do some Development Activities within the Colony; but there are multiple irregularities and misconduct, regarding the financial transactions, functioning and administration of our Rajendra Nagar (New) Welfare Committee.

The Welfare Committee of Rajendra Nagar is only a governing body and not a law enforcement body. Therefore, without the support and co-operation and due to the lack of necessary guidelines from our higher authorities, primarily the JCHBS Ltd.; it is becoming rather difficult for us to maintain a democratic environment in our colony.

I regret to inform your good self that in the process of executing the Development Projects, the Welfare Committee under the Secretaryship of Mr.Paritosh Bhakat, is not functioning in a democratic manner and the Procedures and Guidelines as directed by the JCHBS Ltd. are not being followed. Not only are there procedural lapses in financial matters but even the functioning and administrative Procedures are also being violated. There has been NO AGM or any other General Body Meeting since the Last General Body Meeting on 17.03.2024.

Sir, I regret to bring to your Notice that Major Expenses even to the tune of **amounts in Lacs are being done by the Committee Office Bearers WITHOUT ANY APPROVAL OF THE GENERAL BODY** of the Plot Holders. The Plot Holders are not even pre-intimated about these expenses. Our accumulated Welfare Funds are being consumed on non-priority jobs and we are progressively getting into a deficit, every month. Recently, a sum of Approximately Rs.1,28,000/= was Spent on Installation of a Guard Room and Drop Gate at the Entrance of the Colony. It was discussed in a general gathering of some of the Plot Holders, including myself, that since the Guard Room and the Drop Gate would not benefit the 7 Plot Holder on the Outside, therefore the cost should not be put on the Account of the Welfare Committee and that, we the

I am Sinha
21/01/26.

18 Plot Holders inside the Circle will contribute amongst ourselves and bear this cost. An adhoc budget of Approximately Rs.50,000 (+/- 5-10%) was Approved and to initiate the Work a Cheque of Rs.50,000 was handed over to Mr.Kamlesh Modi to Execute the Work. This same Project finally went up to Rs.1,28,000/= Approx. (i.e. almost 2.5 Times) and the remaining amount was also paid off from the Welfare Committee Account, without any further discussion or review of the Cost Escalation. Similarly, without any Discussion a Proposal for Installing CCTV Cameras was Circulated in the Colony Whatsapp Group and 2(Two) Quotations were obtained – one of Rs.35,000/= Approx. and the other was of Rs.55,000/= Approx., by Mr.Vishal Trehan (Elected Committee Member). However, the Work was assigned to the Vendor with the Higher Quote and What was Quoted at Rs.55,000/= was finally Billed at Rs.93,000/= under a Third Name. I am unaware about the Status of Payment made to the CCTV Camera Vendor. To the best of my knowledge and believe the Welfare Committee Office Bearers (Secretary and/or Treasurer alone) are not entitled or empowered to make such huge Capital Expenditure with the Consent of the General Body of Plot Holders and approval of the JCHB Society Ltd. Therefore, the onus and responsibility of these financial discrepancies also lie on the JCHB Society Ltd.

Recently, a lot of discussion was happening regarding the Execution of the Under Ground Cabling Work, which is pending ever since 2012. But here again there is no transparency. The Secretary Mr.Paritosh Bhakat, Executive Committee Member, Mr.Vishal Trehan, Treasurer Mr.Satbir Singh, in collaboration with some 2-3 Plot Holders are trying to Execute the Project themselves, again without any Formal General Body Meeting of the Plot Holders and Society Officials. To the Extent the Technical Requisites, as per our Total Sanctioned and Available Load (through Tata Steel) and as was discussed and documented by the former Committees are being rampantly ignored and violated, only to cater to the illegitimate Higher Power (Load) requirement of some specific Plot Holders.

We have a Total Electrical Load Capacity of 850 KVA for the Rajendra Nagar. 500KVA is with Rajendra Nagar (Old) Colony and 350 KVA is for New Colony. As per this 350 KVA, which is for the 25 Plots of New Colony, each Houe of New Colony may be allowed 14KVA Each (i.e. Mathematically 19.20 Amps. of Current can be drawn on Each of the 3 Phases per House. Therefore, the former Welfare Committees had decided to implement 25A MCB for each House/Plot. Anything over/above this will put extra Load on the Main Switch, installed at the Switch Room and L-19; resulting to repeated Power Failure (Tripping) and would also damage the Cables at the Source. Yet, in the Proposals circulated in the Whatsapp Group there is mention of 63A MCCB i.e. almost 3 Times of the permissible Load. The Welfare Committee Officials have not yet submitted any Composite Proposal even on the Whatsapp Group, which reflects the Total Estimated Expense on this Project. Rather, a complex arrangement has been Proposed by taking all the Source Cables from its present location to inside the Playground and against connect the Individual Houses through 25 Sq.mm. Cables, which would be joined with the existing Cables of the individual Plots, for which the Entire Road would be Cut through

21/01/26.

at Multiple Places (almost 18 Places for 18 Plots). There's no specific mention about the Main Drain of tata Steel which Passes through our Colony, in front of House No.62 to House No.66. (Almost 50-60 Mtrs.) The Top of this Drain lies exactly at the same Level as the existing Road and is a thick Concrete Slab. Then, How can we cut through the Main Drain Top and How will the Electrical Cables of these 5 Houses pass through the Main Drain.

Sir, these are however Technical Issues but What is most Surprising is that without any Final Discussion or Consent of the General Body and without the Approval of the JCHBS Ltd.; material Procurement has been initiated, without proper documentation. When, I enquired from our Secretary, Mr.Paritosh Bhakat and Mr.Vishal Trehan, regarding the same they informed me that the Material is being Purchased through Mr.Kamlesh Modi and the Project will be Executed, as has been discussed recently at the Residence of Mr.Kamlesh Modi, also in my presence, as well. In reply, I have Informed the Secretary, Mr.Paritosh Bhakat that firstly, I am not in sync with these Proposals and more importantly all the Procedures and official Formalities need to be fulfilled before we start the Execution of a Large-Scale Development Project, in our Co-operative Colony. I suppose, we also need to Pre-intimate the Electrical Department of M/s. TSUIS Ltd./ Tata Steel, before we initiate this Project.

In view of the above circumstances, we would humbly request you to kindly intervene and arbitrate, in this regard. We would request you to kindly instruct the existing Welfare Committee Officials to refrain from such malpractices and also adhere to all the Procedures and official Formalities, of the Welfare Committee, by-laws of JCHB Society Ltd. and Tata Steel directives, in a synchronized manner.

Sir, I as a Resident and Asst. Secretary of the Rajendra Nagar (New) Welfare Committee, seek your benevolent shelter and intervention regarding the functioning of our Welfare Committee and also to maintain the Civic Law & Order, within our Colony. This is for your kind information and necessary action please.

Thanking you.
With Regards,

Anupam Sinha
21/01/26

[ANUPAM SINHA]
H.No. – 68, Rajendra Nagar (New) Colony,
Sakchi, Jamshedpur – 831001.
Ph. - 9431166737

Received
21/01/2026
The Jsr. Co-operative Housing Society Ltd. JSR.

C.C. :

- Deputy Commissioner, East Singhbhum.
- MD, M/s. TSUIS Ltd.
- Head, Town Electricity Dept., M/s. TSUIS Ltd.

क्षेत्रीय प्राप्ति शाखा
21/01/26
उपायुक्त का कार्यालय
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

Received 22/01/26 (Sr. DM Jamshedpur Powers Services)

o/c

Date – 03.02.2026

To
The President,
Jamshedpur Co-operative House Building Society Ltd.,
Jamshedpur.

Respected Sir,

Sub. – Reminder Letter against my Complain submitted through Letter Dated 21.01.2026 and earlier Letter Dated 20.01.2026 and Also a Letter Sent to UCO Bank, Sakchi Branch Dated 22.01.2026 (Copy Submitted to the Society Office on 22.01.2026).

Ref. – My Letters Dated – 20.01.2026, 21.01.2026 & UCO Bank Letter Dated 22.01.2026.

With reference to the above, I wish to bring to your kind attention that I had Submitted 3(Three) Letters addressed to your good self, at the office of the JCHB Society Ltd., on 20th, 21st & 22nd. January, 2026, respectively; regarding multiple irregularities and misconduct, regarding the financial transactions, functioning and administration of our Rajendra Nagar (New) Welfare Committee. I would also like to place on record that ever since then I had visited the Office of JCHB Society Ltd. and had met You (President Sir - Mr.K.K.Pandey), Mr.Ashish Kr. Roy (Vice President) and Mr. Sajal Guha (Office Bearer/Committee member) of JCHB Society Ltd. and I had discussed the complains and grievances, in person, verbally with all of you, as well.

I regret to inform you that inspite of my Complains and repeated humble requests, to the Society Officials, for your kind intervention, neither have I received any reply from your end, nor has there been any action taken by your office, in this regard.

In view of the above circumstances, I would once again humbly request you to kindly intervene and arbitrate, in this regard, failing which, in the absence of any respite, I shall have no other alternative than to seek the shelter of the Hon'ble Court. This is for your kind information and necessary action please.

Thanking you.
With Regards,

03/02/26

[ANUPAM SINHA]
H.No. – 68, Rajendra Nagar (New) Colony,
Sakchi, Jamshedpur – 831001.
Ph. - 9431166737

कार्यालय उपायुक्त शाखा
03/02/26
उपायुक्त का कार्यालय
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

Only For Reference of TSUIS Ltd.
Rajendra Nagar Colony

Establishment No. - 020024HO502199
BP No. - 0010037472
Cons. No. - 0011809

C.C. :
- Deputy Commissioner, East Singhbhum.
- MD, M/s. TSUIS Ltd.
- Head, Town Electricity Dept., M/s. TSUIS Ltd. (Chief Div. Manager, Jamshedpur Power Services, TSUISL.)

03/02/26

Received
Date 03/02/26
Town Electrical

The Jsr Co-operative House Building Society Ltd. JSR 3/2/26

Gmail

ANUPAM SINHA <asinha4u.jsr@gmail.com>

Complaint Letter against irregularity and tampering of Electricity Distribution System at Rajendra Nagar (New) Colony. Establishment No. - 020024HO502199 BP No. – 0010037472 , Cons. No. - 0011809

1 message

ANUPAM SINHA <asinha4u.jsr@gmail.com> Fri, Feb 6, 2026 at 11:51 AM
To: sundar.raman@tatasteel.com

To
The Vice – President (Corporate Services),
Tata Steel,
Jamshedpur.

Sub. – Complaint Letter against irregularity and tampering of Electricity Distribution System at Rajendra Nagar (New) Colony.
Establishment No. - 020024HO502199
BP No. – 0010037472 , Cons. No. - 0011809
Ref. – My previous Letters Dated – 21.01.2026 and 03.02.2026

Respected Sir,

With reference to above, I would like to kindly inform you that I am a resident of Rajendra Nagar Co-operative Colony, which is a sub-leased residential colony of Tata Steel; through Jamshedpur Co-op. House Building Society Ltd. All our utility and services viz.- Electricity, Water supply, Drainage and Sewer System, etc. are being provided to our colony, through M/s. TSUIS Ltd.

Sir, I regret to inform you that there are multiple irregularities and misconduct, regarding administration of our Rajendra Nagar Colony. The Entire Electricity Distribution System is being tampered and altered without the Consent or Approval of M/s. TSUISL or Power Division of Tata Steel. I had Submitted a Letter Dated 21.01.2026, to the MD – TSUISL and Sr.DM, Jsr Power Division, in this regard. But there has been no response to my complaints. Thereafter, I had submitted a Reminder letter on 03.02.2026, yet in vain.

I am attaching a Copy of the aforesaid Letters, for your kind Perusal.

Sir, as a resident of a Colony under Tata Steel, I seek your kind intervention and shelter of Tata Steel, in this regard; especially regarding the Electricity Supply and Distribution. I would humbly request you to kindly do the needful, for which act of kindness, I shall remain ever Obliged.

Thanking you.

With Regards,
ANUPAM SINHA
H.No. – 68, Rajendra Nagar (New) Colony,
Sakchi, Jamshedpur – 831001.
Ph. - 9431166737
Mail - asinha4u.jsr@gmail.com

RECEIVING COPY_LETTER_21_01_26.pdf
1865K

Page - 34

R/C

Complaint to DCO.

दिनांक – 09.02.2026.

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी
जिला - पूर्वी सिंघभूम
जमशेदपुर।

विषय - जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत राजेंद्र नगर (नई) कोआपरेटिव कॉलोनी वेलफेयर समिति के पदाधिकारीयों द्वारा वित्तीय लेन-देन एवं समिति के कामकाज में कई अनिमितताएं और कदाचार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया

उपरोक्त विषय के संदर्व में सविनय निवेदन है कि करना है कि मैं अनुपम सिन्हा, पिता स्व चंडी दास सिन्हा, H.No. 68, राजेंद्र नगर नई कोऑपरेटिव कॉलोनी (RNCC), पोस्ट व थाना - साकची, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंघभूम का निवासी हूँ, जो कि जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत एक कोऑपरेटिव कॉलोनी है।

महोदया को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे राजेंद्र नगर (नई) कोआपरेटिव कॉलोनी वेलफेयर समिति के पदाधिकारीयों द्वारा, कॉलोनी के अंदर कुछ कार्य कर रही है; लेकिन वेलफेयर समिति के वित्तीय लेन-देन, कामकाज के संबंध में कई अनियमितताएं और कदाचार की जा रही है जिसकी जाँच के पश्चात ही कार्यान्वियन की आवश्यकता है।

हमारी कोऑपरेटिव कॉलोनी के वेलफेयर समिति के पदाधिकारी - श्री परितोष भगत (सचिव), श्री विशाल त्रेहन (कोषाध्यक्ष) और श्री सतबीर सिंह (सहायक कोषाध्यक्ष) ने फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेजों के माध्यम से हमारी राजेंद्र नगर (नई) वेलफेयर कमेटी के वित्तीय लेन-देन एवं कामकाज में कई अनियमितताएं और कदाचार किए हैं। मैंने जमशेदपुर को-ऑप. हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के समक्ष पत्राचार के माध्यम से अपने शिकायतें उठाई थीं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब या सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। मैंने JCHB सोसाइटी लिमिटेड समिति के कार्यालय जाकर समिति के श्री एस.के. पांडे (अध्यक्ष), श्री आशीष कुमार रॉय (उपाध्यक्ष) और श्री सजल गुहा (समिति सदस्य) से मुलाकात कर व्यक्तिगत रूप से उन्हें सभी अनियमितताएं एवं समस्या ओं से अवगत करवाया लेकिन समिति के अधिकारीयों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

सुलझ प्रसंग हेतु मेरे द्वारा किये गए पत्राचार की छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की जा रही है।

Anupam Sinha
09/02/26

महोदया को सूचित करना चाहता हूँ कि हाल ही में, कॉलोनी के एंट्रेंस पर एक गार्ड रूम और ड्रॉप गेट लगाने पर लगभग 1,28,000/= रुपये खर्च किए गए। कुछ प्लॉट होल्डर्स की एक आम सभा में, यह चर्चा हुई कि चूंकि गार्ड रूम और ड्रॉप गेट से बाहर के 7 प्लॉट होल्डर्स को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसका खर्च वेलफेयर कमेटी के खाते में नहीं डाला जाना चाहिए और हम सर्कल के अंदर के 18 प्लॉट होल्डर्स आपस में मिलकर यह खर्च उठाएंगे। लगभग 50,000/= रुपये (+/- 5-10%) का एक एडहॉक बजट मंजूर किया गया और काम को पूरा करने के लिए श्री कमलेश मोदी को 50,000/= रुपये का चेक दिया गया। इसी प्रोजेक्ट की लागत आखिरकार बढ़कर लगभग 1,28,000/= रुपये हो गई (यानी लगभग 2.5 गुना) और बाकी रकम भी वेलफेयर कमेटी के खाते से बिना किसी और चर्चा या लागत में बढ़ोतरी की समीक्षा किये बगैर भुगतान कर दिया गया।

इसी तरह, एक और मामले में, श्री विशाल त्रेहन (कोषाध्यक्ष) ने कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में CCTV कैमरे लगवाने के लिए 3-4 कोटेशन सर्कुलेट किया जिसमें एक कोटेशन 35,370/= रुपये (पिक्सेल एंटरप्राइजेज) और 3 अन्य कोटेशन 49,400/= रुपये, 50,200/= रुपये और 55,800/= रुपये (सूरज इंटरप्राइजेज) के द्वारा डाला गया था। इसके बाद, इन कम कोटेशन के बावजूद, बिना किसी चर्चा या रिव्यू के, यह काम किसी "करण कुमार" से करवाया गया, जिसने आखिर में 91,440/= रुपये का बिल बनाया। मुझे CCTV कैमरा वेंडर को किए गए पेमेंट की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है।

वेलफेयर समिति द्वारा इतने बड़े पैमाने पर भुगतान किया गया किन्तु इस कार्यान्वयन के पूर्व कोई वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। समिति के नियमानुसार (By - Laws), वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारी (सचिव या कोषाध्यक्ष या सहायक कोषाध्यक्ष) अकेले, सभी प्लॉट धारकों की जनरल बॉडी मीटिंग की सहमति और उसके पश्चात JCHB सोसाइटी लिमिटेड की मंजूरी के बगैर इतना बड़ा पूंजीगत खर्च करने के हकदार या अधिकृत नहीं हैं।

हाल ही में पिछले कुछ हफ्तों में, हमारे हमारे कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर अंडरग्राउंड केबलिंग के काम को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन यहाँ भी कोई पारदर्शिता नहीं है। राजेंद्र नगर (न्यू) वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारी, सचिव - श्री परितोष भगत, कोषाध्यक्ष - श्री विशाल त्रेहन और सहायक कोषाध्यक्ष - श्री सतबीर सिंह, 2-3 अन्य प्लॉट धारकों के साथ मिलकर, प्लॉट धारकों और JCHB सोसाइटी के अधिकारियों की किसी भी औपचारिक जनरल बॉडी मीटिंग के बिना, इस प्रोजेक्ट को खुद ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के बाय-लॉज़ के क्लॉज़ 60(e) के अनुसार; पानी की सप्लाई, ड्रेनेज सुविधाएँ, बिजली और इसी तरह की सुविधाओं की सप्लाई और रखरखाव JCHB सोसाइटी लिमिटेड के दायरे में आता है। बिजली की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का मामला सुविधाओं और सेवाओं से सम्बंधित है और इसे केवल टाटा स्टील कंपनी / M/s. TSUSIL (मुख्य सेवा प्रदाता) और JCHB सोसाइटी लिमिटेड (पट्टेदार) के अधिकार क्षेत्र में आतें हैं।

02/02/24

हमारी राजेंद्र नगर कॉलोनी (BP नंबर – 0010037472, Cons. नंबर – 0011809) में अभी M/s. टाटा स्टील USI लिमिटेड (मुख्य सेवा प्रदाता) से कुल 850KVA का इलेक्ट्रिकल लोड कैपेसिटी सैंक्शन है। 500KVA राजेंद्र नगर पुरानी कॉलोनी के लिए (54 घरों के लिए सामूहिक रूप से Estb. नंबर – 1460023H0555199 के तहत) और 350KVA राजेंद्र नगर नई कॉलोनी के लिए (25 घरों के लिए सामूहिक रूप से Estb. नंबर – 1460023H0555299 के तहत)।

सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारे वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों के द्वारा बिना किसी जनरल बॉडी मीटिंग में चर्चा या सहमति के बिना एवं JCHBS लिमिटेड की मंज़ूरी या फिर और बिना M/s. TSUIS Ltd./ टाटा स्टील (जो हमारी मुख्य सर्विस प्रोवाइडर है) के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से किसी सूचना या NOC के बिना; दिनांक 20.01.2026 को बिना उचित डॉक्यूमेंटेशन के गैर-कानूनी तरीके से मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया गया एवं अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए खुदाई का काम भी पिछले कुछ दिनों से शुरू कर दिया गया है।

मैंने सेक्रेटरी, श्री पारितोष भगत को बताया कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी कोऑपरेटिव कॉलोनी में एक बड़े यूटिलिटी प्रोजेक्ट (जिसमें 10-12 लाख रुपये का खर्च आ सकता है) को शुरू करने से पहले सभी प्रक्रियाओं और सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए। मैंने यह भी प्रस्ताव दिया कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हमें M/s.TSUIS Ltd./टाटा स्टील (जो हमारे मुख्य सर्विस प्रोवाइडर हैं) के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को पहले से सूचित करना चाहिए और इस संबंध में उनकी भागीदारी, मार्गदर्शन और मंज़ूरी लेनी चाहिए।

आखिरकार वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा मेरे सुझावों एवं प्रस्तावों को स्वीकार न करने के कारण, मैंने प्रेसिडेंट, JCHB सोसाइटी लिमिटेड को एक शिकायत पत्र लिखा; जिसकी एक कॉपी DM – डिप्टी कमिश्नर, पूर्वी सिंहभूम, MD - M/s. TSUIS Ltd. और Sr.D.M. जमशेदपुर पावर सर्विसेज, TSUISL के ऑफिस में भी जमा की गई।

जब मैंने JCHB सोसाइटी लिमिटेड के साथ इस मुद्दे को उठाया, तो श्री सतबीर सिंह (वर्तमान में वेलफेयर कमेटी के असिस्टेंट ट्रेज़रर) द्वारा एक झूठा और मनगढ़ंत दस्तावेज़ (एक हाथ से लिखा हुआ पत्र), जिसे कथित तौर पर मीटिंग का मिनट्स बताया गया, बनाया गया। इसके ज़रिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि 4 जनवरी, 2026 को सभी प्लॉट धारकों की एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी और विभिन्न वेंडरों के कोटेशन और प्रस्ताव पेश किए गए थे और जनरल बॉडी ने अंडरग्राउंड केबलिंग काम के प्रोजेक्ट को शुरू करने की मंज़ूरी दे दी है। वही झूठा और मनगढ़ंत दस्तावेज़ JCHB सोसाइटी लिमिटेड के ऑफिस में भी जमा किया गया था।

मुझे कुछ प्लॉट धारकों और JCHB सोसाइटी लिमिटेड के पदाधिकारियों ने बताया है कि असल में 4 जनवरी, 2026 को कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुई थी। बल्कि, अपने गलत इरादों को मजबूत करने के लिए, श्री सतबीर सिंह (उर्फ - सैंकी) (वर्तमान में सहायक कोषाध्यक्ष) कॉलोनी में कुछ प्लॉट मालिकों के घर - घर जाकर उन्हें अतिरिक्त बिजली (Extra Load) , Lift , इत्यादि

09/02/26

का झूठी प्रलोभन देकर उन्हें एक अलग कागज़ पर साइन करवाया, जिसे बाद में Attendance दिखाया गया। उक्त कागज़ को एक हाथ से लिखे पत्र के साथ एवं कुछ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टरों के कोटेशन की कॉपी के साथ JCHB सोसाइटी लिमिटेड के ऑफिस में जमा किया गया, ताकि इसे GBM की मीटिंग के मिनट्स जैसा दिखाया जा सके।

यह पत्र वेलफेयर कमेटी के लेटर हेड पर नहीं था और सेक्रेटरी द्वारा स्टैंप और साइन भी नहीं किया हुआ था जिसपर मेरे आपत्ति जताने पर; उसे JCHB सोसाइटी लिमिटेड के ऑफिस ने "अस्वीकार्य" कहकर वापस कर दिया।

मुझे कॉलोनी के कुछ सदस्यों से जानकारी मिली कि वेलफेयर कमेटी के सदस्यों द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से Cash में करने की योजना बनायीं जा रही है ताकि उन्हें वैलिड और असली बिल और इनवॉइस न दिखाने पड़ें। वेरिफिकेशन करने पर, मुझे श्री विशाल त्रेहन ने बताया कि 18% GST लागत बचाने के लिए वेलफेयर कमेटी के अधिकारी सभी सामान और मटेरियल (केबल, स्विच-गियर, MCCBs, MCBs, आदि) कैश में खरीद रहे हैं, जिसका बिल/इनवॉइस हमारे एक प्लॉट मालिक की फैक्ट्री के नाम पर बनाया जा रहा है, जो बदले में सरकार से 18% GST इनपुट वापस ले लेंगें और उसे बाकी रकम कैश में दे दिया जायेगा। मुझे श्री विशाल त्रेहन (कोषाध्यक्ष) ने यह भी बताया कि, प्रोजेक्ट की लेबर कॉस्ट को पूरा करने के लिए, वेलफेयर कमेटी के अधिकारियों ने कॉलोनी में लगे रेल-पोल (8 Nos) को काटकर बेचने की योजना बनाई है। ये रेल-पोल हमारी कॉलोनी में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए M/s. टाटा स्टील या JCHB सोसाइटी लिमिटेड द्वारा लगभग 50-60 साल पहले कॉलोनी बनने के समय लगाए गए थे। मुझे बताया गया कि ये ठोस लोहे के रेल-पोल हैं जो बहुत भारी हैं और स्क्रैप मार्केट में हमें आसानी से लगभग 3-3.5 लाख रुपये मिल जाएंगे।

आखिरकार वेलफेयर कमेटी के ऑफिस बेयरर्स के गलत इरादों और बड़े पैमाने पर durachaar को देखते हुए, मैंने एक प्लॉट होल्डर और वेलफेयर कमेटी के सदस्य के तौर पर, UCO बैंक, साकची ब्रांच, जमशेदपुर (जहाँ हमारे राजेंद्र नगर (न्यू) वेलफेयर कमेटी का सेविंग अकाउंट S/B. A/C. NO. - 07190100011633) है वहां के ब्रांच हेड को एक पत्र लिखकर बैंक अकाउंट को फ्रीज़ करने या बड़ी रकम निकालने की इजाज़त न दी जाने के आवेदन किया। मेरे द्वारा UCO बैंक को पत्र लिखने के तुरंत बाद, हमारे सेक्रेटरी श्री परितोष भगत ने UCO बैंक को एक बैक डेटेड लेटर (तारीख - 23.01.2023) लिखा, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद से मेरे इस्तीफे के बारे में बताया गया था। संदर्भ में कुछ तथ्यों और बातें है जो कि सेक्रेटरी श्री परितोष भगत के गलत इरादों को दर्शाता है।

वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारियों ने काफी सारा सामान कैश में खरीद लिया है और अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए खुदाई का काम पिछले कुछ दिनों से शुरू कर दिया गया है, बिना जनरल बॉडी की किसी अंतिम चर्चा या सहमति के और बिना JCHBS Ltd. की मंज़ूरी के और बिना M/s.

09/02/26

TSUIS Ltd./ टाटा स्टील (जो हमारी मुख्य सर्विस प्रोवाइडर है) के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से किसी सूचना या NOC के।

राजेंद्र नगर (न्यू) वेलफेयर कमेटी के वित्तीय लेन-देन, कामकाज और प्रशासन के संबंध में दुर्व्यवहार और गलत कामों के ये सभी उपरोक्त कार्य, राजेंद्र नगर (न्यू) कॉलोनी वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारियों यानी - श्री परितोष भगत (सेक्रेटरी), श्री विशाल त्रेहन (वर्तमान कोषाध्यक्ष) और श्री सतबीर सिंह (वर्तमान सहायक कोषाध्यक्ष) द्वारा सोसाइटी कार्यालय में जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के माध्यम से किए जा रहे हैं।

अगर राजेंद्र नगर (न्यू) कॉलोनी वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारियों यानी - श्री परितोष भगत (सेक्रेटरी), श्री विशाल त्रेहन (वर्तमान कोषाध्यक्ष) और श्री सतबीर सिंह (वर्तमान सहायक कोषाध्यक्ष) को अपने पद और शक्ति के दुरुपयोग से नहीं रोका गया तो इससे राजेंद्र नगर (न्यू) वेलफेयर कमेटी और उसके वेलफेयर फंड की जमा बचत को अपूरणीय और अपरिवर्तनीय नुकसान होगा।

महोदया को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि राजेंद्र नगर कोआपरेटिव कॉलोनी को बिजली, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज और सीवर सिस्टम, वगैरह जैसे सभी यूटिलिटी सर्विसेज टाटा कंपनी के द्वारा घरेलू दरों पर दी जा रही हैं। समिति के नियमों के अनुसार इस आवासीय कॉलोनी के अंदर कोई व्यावसायिक कार्य / कमर्शियल एक्टिविटी किया जाना आवंटन (Sub - Lease) के शर्तों का स्पस्ट उल्लंघन है मगर फिर भी वर्षों से हमारे कॉलोनी में होटल, गोदाम, डॉक्टरों के Clinic / OT इत्यादि जैसे व्यावसायिक कार्य / कमर्शियल एक्टिविटी चल रहें हैं। M/s. TATA Steel Ltd. ने JCHBS Ltd. समिति को इस बारे में कई चेतावनी पत्र जारी किए थे; फिर भी सोसाइटी ऑफिस ऐसे प्लॉट मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। केवल ज़रूरी रिकॉर्ड Keeping और डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऐसे प्लॉट मालिकों को सिर्फ़ Notice भेज कर ऑफिस की औपचारिकता पूरी की जाती है।

अतः महोदया से हमारा सविनय निवेदन है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्राप्त सूचना पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक जाँच एवं न्याय संगत कारवाई करने कि कृपया करें जिसके लिए मैं सदैव महोदया का आभारी रहूँगा।

धन्यवाद।

भवदीय,

02/04/26

[अनुपम सिन्हा]

H. No. - 68, राजेंद्र नगर (नई) कोऑपरेटिव कॉलोनी (RNCC),
पोस्ट व थाना - साकची, जमशेदपुर – 831001.
Ph. - 9431166737.

Encl. -

- Letter Dated 20.01.2026, 21.01.2026
- Letter Sent to UCO Bank, Sakchi Branch Dated 22.01.2026
- Reminder Letter Dated 03.02.2026

प्रतिलिपि –
उपायुक्त महोदय, पूर्वी सिंघभूम, की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

02/02/2026.

Content of Letter to DCO Dt. 09.02.2
(i.e. - Content of Page Nos. 35-40)

दिनांक – 09.02.2026.

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी
जिला - पूर्वी सिंघभूम
जमशेदपुर।

विषय - जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत राजेंद्र नगर (नई) कोआपरेटिव कॉलोनी वेलफेयर समिति के पदाधिकारीयों द्वारा वित्तीय लेन-देन एवं समिति के कामकाज में कई अनिमितताएं और कदाचार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया

उपरोक्त विषय के संदर्व में सविनय निवेदन है कि करना है कि मैं अनुपम सिन्हा, पिता स्व चंडी दास सिन्हा, H.No. 68, राजेंद्र नगर नई कोऑपरेटिव कॉलोनी (RNCC), पोस्ट व थाना - साकची, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंघभूम का निवासी हूँ, जो कि जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत एक कोऑपरेटिव कॉलोनी है।

महोदया को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे राजेंद्र नगर (नई) कोआपरेटिव कॉलोनी वेलफेयर समिति के पदाधिकारीयों द्वारा, कॉलोनी के अंदर कुछ कार्य कर रही है; लेकिन वेलफेयर समिति के वित्तीय लेन-देन, कामकाज के संबंध में कई अनियमितताएं और कदाचार की जा रही है जिसकी जाँच के पश्चात ही कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

हमारी कोऑपरेटिव कॉलोनी के वेलफेयर समिति के पदाधिकारी - श्री परितोष भगत (सचिव), श्री विशाल त्रेहन (कोषाध्यक्ष) और श्री सतबीर सिंह (सहायक कोषाध्यक्ष) ने फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेजों के माध्यम से हमारी राजेंद्र नगर (नई) वेलफेयर कमेटी के वित्तीय लेन-देन एवं कामकाज में कई अनियमितताएं और कदाचार किए हैं। मैंने जमशेदपुर को-ऑप. हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के समक्ष पत्राचार के माध्यम से अपने शिकायतें उठाई थीं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब या सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। मैंने JCHB सोसाइटी लिमिटेड समिति के कार्यालय जाकर समिति के श्री एस.के. पांडे (अध्यक्ष), श्री आशीष कुमार रॉय (उपाध्यक्ष) और श्री सजल गुहा (समिति सदस्य) से मुलाकात कर व्यक्तिगत रूप से उन्हें सभी अनियमितताएं एवं समस्याओं से अवगत करवाया लेकिन समिति के अधिकारीयों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

सुलभ प्रसंग हेतु मेरे द्वारा किये गए पत्राचार की छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की जा रही है।

महोदया को सूचित करना चाहता हूँ कि हाल ही में, कॉलोनी के एंट्रेंस पर एक गार्ड रूम और ड्रॉप गेट लगाने पर लगभग 1,28,000/= रुपये खर्च किए गए। कुछ प्लॉट होल्डर्स की एक आम सभा में, यह चर्चा हुई कि चूंकि गार्ड रूम और ड्रॉप गेट से बाहर के 7 प्लॉट होल्डर्स को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसका खर्च वेलफेयर कमेटी के खाते में नहीं डाला जाना चाहिए और हम सर्कल के अंदर के 18 प्लॉट होल्डर्स आपस में मिलकर यह खर्च उठाएंगे। लगभग 50,000/= रुपये (+/- 5-10%) का एक एडहॉक बजट मंजूर किया गया और काम को पूरा करने के लिए श्री कमलेश मोदी को 50,000/= रुपये का चेक दिया गया। इसी प्रोजेक्ट की लागत आखिरकार बढ़कर लगभग 1,28,000/= रुपये हो गई (यानी लगभग 2.5 गुना) और बाकी रकम भी वेलफेयर कमेटी के खाते से बिना किसी और चर्चा या लागत में बढ़ोतरी की समीक्षा किये बगैर भुगतान कर दिया गया।

इसी तरह, एक और मामले में, श्री विशाल त्रेहन (कोषाध्यक्ष) ने कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में CCTV कैमरे लगवाने के लिए 3-4 कोटेशन सर्कुलेट किया जिसमें एक कोटेशन 35,370/= रुपये (पिक्सेल एंटरप्राइजेज) और 3 अन्य कोटेशन 49,400/= रुपये, 50,200/= रुपये और 55,800/= रुपये (सूरज इंटरप्राइजेज) के द्वारा डाला गया था ।इसके बाद, इन कम कोटेशन के बावजूद, बिना किसी चर्चा या रिव्यू के, यह काम किसी "करण कुमार" से करवाया गया, जिसने आखिर में 91,440/= रुपये का बिल बनाया। मुझे CCTV कैमरा वेंडर को किए गए पेमेंट की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है।

वेलफेयर समिति द्वारा इतने बड़े पैमाने पर भुगतान किया गया किन्तु इस कार्यान्वयन के पूर्व कोई वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। समिति के नियमानुसार (By - Laws), वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारी (सचिव या कोषाध्यक्ष या सहायक कोषाध्यक्ष) अकेले, सभी प्लॉट धारकों की जनरल बॉडी मीटिंग की सहमति और उसके पश्चात JCHB सोसाइटी लिमिटेड की मंजूरी के बगैर इतना बड़ा पूंजीगत खर्च करने के हकदार या अधिकृत नहीं हैं।

हाल ही में पिछले कुछ हफ्तों में, हमारे हमारे कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर अंडरग्राउंड केबलिंग के काम को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन यहाँ भी कोई पारदर्शिता नहीं है। राजेंद्र नगर (न्यू) वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारी, सचिव - श्री परितोष भगत, कोषाध्यक्ष - श्री विशाल त्रेहन और सहायक कोषाध्यक्ष - श्री सतबीर सिंह, 2-3 अन्य प्लॉट धारकों के साथ मिलकर, प्लॉट धारकों और JCHB सोसाइटी के अधिकारियों की किसी भी औपचारिक जनरल बॉडी मीटिंग के बिना, इस प्रोजेक्ट को खुद ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के बाय-लॉज़ के क्लॉज़ 60(e) के अनुसार; पानी की सप्लाई, ड्रेनेज सुविधाएँ, बिजली और इसी तरह की सुविधाओं की सप्लाई और रखरखाव JCHB सोसाइटी लिमिटेड के दायरे में आता है। बिजली की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का मामला सुविधाओं और सेवाओं से सम्बंधित है और इसे केवल टाटा स्टील कंपनी / M/s. TSUSIL (मुख्य सेवा प्रदाता) और JCHB सोसाइटी लिमिटेड (पट्टेदार) के अधिकार क्षेत्र में आतें हैं।

हमारी राजेंद्र नगर कॉलोनी (BP नंबर – 0010037472, Cons. नंबर – 0011809) में अभी M/s. टाटा स्टील USI लिमिटेड (मुख्य सेवा प्रदाता) से कुल 850KVA का इलेक्ट्रिकल लोड कैपेसिटी सैंक्शन है। 500KVA राजेंद्र नगर पुरानी कॉलोनी के लिए (54 घरों के लिए सामूहिक रूप से Estb. नंबर – 1460023H0555199 के तहत) और 350KVA राजेंद्र नगर नई कॉलोनी के लिए (25 घरों के लिए सामूहिक रूप से Estb. नंबर – 1460023H0555299 के तहत)।

सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारे वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों के द्वारा बिना किसी जनरल बॉडी मीटिंग में चर्चा या सहमति के बिना एवं JCHBS लिमिटेड की मंज़ूरी या फिर और बिना M/s. TSUIS Ltd./ टाटा स्टील (जो हमारी मुख्य सर्विस प्रोवाइडर है) के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से किसी सूचना या NOC के बिना; दिनांक 20.01.2026 को बिना उचित डॉक्यूमेंटेशन के गैर-कानूनी तरीके से मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया गया एवं अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए खुदाई का काम भी पिछले कुछ दिनों से शुरू कर दिया गया है।

मैंने सेक्रेटरी, श्री पारितोष भगत को बताया कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी कोऑपरेटिव कॉलोनी में एक बड़े यूटिलिटी प्रोजेक्ट (जिसमें 10-12 लाख रुपये का खर्च आ सकता है) को शुरू करने से पहले सभी प्रक्रियाओं और सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए। मैंने यह भी प्रस्ताव दिया कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हमें M/s.TSUIS Ltd./टाटा स्टील (जो हमारे मुख्य सर्विस प्रोवाइडर हैं) के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को पहले से सूचित करना चाहिए और इस संबंध में उनकी भागीदारी, मार्गदर्शन और मंज़ूरी लेनी चाहिए।

आखिरकार वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा मेरे सुझावों एवं प्रस्तावों को स्वीकार न करने के कारण, मैंने प्रेसिडेंट, JCHB सोसाइटी लिमिटेड को एक शिकायत पत्र लिखा; जिसकी एक कॉपी DM – डिप्टी कमिश्नर, पूर्वी सिंहभूम, MD - M/s. TSUIS Ltd. और Sr.D.M. जमशेदपुर पावर सर्विसेज, TSUISL के ऑफिस में भी जमा की गई।

जब मैंने JCHB सोसाइटी लिमिटेड के साथ इस मुद्दे को उठाया, तो श्री सतबीर सिंह (वर्तमान में वेलफेयर कमेटी के असिस्टेंट ट्रेज़रर) द्वारा एक झूठा और मनगढ़ंत दस्तावेज़ (एक हाथ से लिखा हुआ पत्र), जिसे कथित तौर पर मीटिंग का मिनट्स बताया गया, बनाया गया। इसके ज़रिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि 4 जनवरी, 2026 को सभी प्लॉट धारकों की एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी और विभिन्न वेंडरों के कोटेशन और प्रस्ताव पेश किए गए थे और जनरल बॉडी ने अंडरग्राउंड केबलिंग काम के प्रोजेक्ट को शुरू करने की मंज़ूरी दे दी है। वही झूठा और मनगढ़ंत दस्तावेज़ JCHB सोसाइटी लिमिटेड के ऑफिस में भी जमा किया गया था।

मुझे कुछ प्लॉट धारकों और JCHB सोसाइटी लिमिटेड के पदाधिकारियों ने बताया है कि असल में 4 जनवरी, 2026 को कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुई थी। बल्कि, अपने गलत इरादों को मजबूत करने के लिए, श्री सतबीर सिंह (उर्फ - सैंकी) (वर्तमान में सहायक कोषाध्यक्ष) कॉलोनी में कुछ प्लॉट मालिकों के घर - घर जाकर उन्हें अतिरिक्त बिजली (Extra Load) , Lift , इत्यादि:

का झूठी प्रलोभन देकर उन्हें एक अलग कागज़ पर साइन करवाया, जिसे बाद में Attendance दिखाया गया। उक्त कागज़ को एक हाथ से लिखे पत्र के साथ एवं कुछ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टरों के कोटेशन की कॉपी के साथ JCHB सोसाइटी लिमिटेड के ऑफिस में जमा किया गया, ताकि इसे GBM की मीटिंग के मिनट्स जैसा दिखाया जा सके।

यह पत्र वेलफेयर कमेटी के लेटर हेड पर नहीं था और सेक्रेटरी द्वारा स्टैंप और साइन भी नहीं किया हुआ था जिसपर मेरे आपत्ति जताने पर; उसे JCHB सोसाइटी लिमिटेड के ऑफिस ने "अस्वीकार्य" कहकर वापस कर दिया।

मुझे कॉलोनी के कुछ सदस्यों से जानकारी मिली कि वेलफेयर कमेटी के सदस्यों द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से Cash में करने की योजना बनायीं जा रही है ताकि उन्हें वैलिड और असली बिल और इनवॉइस न दिखाने पड़ें। वेरिफिकेशन करने पर, मुझे श्री विशाल त्रेहन ने बताया कि 18% GST लागत बचाने के लिए वेलफेयर कमेटी के अधिकारी सभी सामान और मटेरियल (केबल, स्विच-गियर, MCCBs, MCBs, आदि) कैश में खरीद रहे हैं, जिसका बिल/इनवॉइस हमारे एक प्लॉट मालिक की फैक्ट्री के नाम पर बनाया जा रहा है, जो बदले में सरकार से 18% GST इनपुट वापस ले लेंगें और उसे बाकी रकम कैश में दे दिया जायेगा। मुझे श्री विशाल त्रेहन (कोषाध्यक्ष) ने यह भी बताया कि, प्रोजेक्ट की लेबर कॉस्ट को पूरा करने के लिए, वेलफेयर कमेटी के अधिकारियों ने कॉलोनी में लगे रेल-पोल (8 Nos) को काटकर बेचने की योजना बनाई है। ये रेल-पोल हमारी कॉलोनी में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए M/s. टाटा स्टील या JCHB सोसाइटी लिमिटेड द्वारा लगभग 50-60 साल पहले कॉलोनी बनने के समय लगाए गए थे। मुझे बताया गया कि ये ठोस लोहे के रेल-पोल हैं जो बहुत भारी हैं और स्क्रैप मार्केट में हमें आसानी से लगभग 3-3.5 लाख रुपये मिल जाएंगे।

आखिरकार वेलफेयर कमेटी के ऑफिस बेयरर्स के गलत इरादों और बड़े पैमाने पर durachaar को देखते हुए, मैंने एक प्लॉट होल्डर और वेलफेयर कमेटी के सदस्य के तौर पर, UCO बैंक, साकची ब्रांच, जमशेदपुर (जहाँ हमारे राजेंद्र नगर (न्यू) वेलफेयर कमेटी का सेविंग अकाउंट S/B. A/C. NO. – 07190100011633) है वहां के ब्रांच हेड को एक पत्र लिखकर बैंक अकाउंट को फ्रीज़ करने या बड़ी रकम निकालने की इजाज़त न दी जाने के आवेदन किया। मेरे द्वारा UCO बैंक को पत्र लिखने के तुरंत बाद, हमारे सेक्रेटरी श्री परितोष भगत ने UCO बैंक को एक बैक डेटेड लेटर (तारीख – 23.01.2023) लिखा, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद से मेरे इस्तीफे के बारे में बताया गया था। संदर्भ में कुछ तथ्यों और बातें है जो कि सेक्रेटरी श्री परितोष भगत के गलत इरादों को दर्शाता है।

वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारियों ने काफी सारा सामान कैश में खरीद लिया है और अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए खुदाई का काम पिछले कुछ दिनों से शुरू कर दिया गया है, बिना जनरल बॉडी की किसी अंतिम चर्चा या सहमति के और बिना JCHBS Ltd. की मंज़ूरी के और बिना M/s.

TSUIS Ltd./ टाटा स्टील (जो हमारी मुख्य सर्विस प्रोवाइडर है) के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से किसी सूचना या NOC के।

राजेंद्र नगर (न्यू) वेलफेयर कमेटी के वित्तीय लेन-देन, कामकाज और प्रशासन के संबंध में दुर्व्यवहार और गलत कामों के ये सभी उपरोक्त कार्य, राजेंद्र नगर (न्यू) कॉलोनी वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारियों यानी - श्री परितोष भगत (सेक्रेटरी), श्री विशाल त्रेहन (वर्तमान कोषाध्यक्ष) और श्री सतबीर सिंह (वर्तमान सहायक कोषाध्यक्ष) द्वारा सोसाइटी कार्यालय में जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के माध्यम से किए जा रहे हैं।

अगर राजेंद्र नगर (न्यू) कॉलोनी वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारियों यानी - श्री परितोष भगत (सेक्रेटरी), श्री विशाल त्रेहन (वर्तमान कोषाध्यक्ष) और श्री सतबीर सिंह (वर्तमान सहायक कोषाध्यक्ष) को अपने पद और शक्ति के दुरुपयोग से नहीं रोका गया तो इससे राजेंद्र नगर (न्यू) वेलफेयर कमेटी और उसके वेलफेयर फंड की जमा बचत को अपूरणीय और अपरिवर्तनीय नुकसान होगा।

महोदया को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि राजेंद्र नगर कोआपरेटिव कॉलोनी को बिजली, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज और सीवर सिस्टम, वगैरह जैसे सभी यूटिलिटी सर्विसेज टाटा कंपनी के द्वारा घरेलू दरों पर दी जा रही हैं। समिति के नियमों के अनुसार इस आवासीय कॉलोनी के अंदर कोई व्यावसायिक कार्य / कमर्शियल एक्टिविटी किया जाना आवंटन (Sub - Lease) के शर्तों का स्पस्ट उल्लंघन है मगर फिर भी वर्षों से हमारे कॉलोनी में होटल, गोदाम, डॉक्टरों के Clinic / OT इत्यादि: जैसे व्यावसायिक कार्य / कमर्शियल एक्टिविटी चल रहें हैं। M/s. TATA Steel Ltd. ने JCHBS Ltd. समिति को इस बारे में कई चेतावनी पत्र जारी किए थे; फिर भी सोसाइटी ऑफिस ऐसे प्लॉट मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। केवल ज़रूरी रिकॉर्ड Keeping और डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऐसे प्लॉट मालिकों को सिर्फ़ Notice भेज कर ऑफिस की औपचारिकता पूरी की जाती है।

अतः मदोदया से हमारा सविनय निवेदन है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्राप्त सुचना पर संज्ञान लेते हुए आवशयक जाँच एवं न्याय संगत कारवाई करने कि कृपया करें जिसके लिए मैं सदैव महोदया का आभारी रहूँगा।
धन्यवाद्।
भवदीय,

[अनुपम सिन्हा]
H. No. - 68, राजेंद्र नगर (नई) कोऑपरेटिव कॉलोनी (RNCC),
पोस्ट व थाना - साकची, जमशेदपुर – 831001.
Ph. - 9431166737.

Encl. –

- Letter Dated 20.01.2026, 21.01.2026
- Letter Sent to UCO Bank, Sakchi Branch Dated 22.01.2026
- Reminder Letter Dated 03.02.2026

प्रतिलिपि –
उपायुक्त महोदय, पूर्वी सिंघभूम, की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ORDER OF DCO.

कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

पत्रांक :– 175 दिनांक :– 10-04-2026

प्रेषित,

अध्यक्ष / सचिव,
जमशेदपुर को0–आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाईटी लि0,
साकची, जमशेदपुर।

The Jamshedpur Co-op House Bldg. Society Limited ★ JSK ★ Date 15/4/26

विषय :– **आवेदक श्री अनुपम सिन्हा, मकान सं0–68, राजेन्द्र नगर (नई) को0–ऑपरेटिव कॉलोनी साकची के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री अनुपम सिन्हा द्वारा समर्पित शिकायत पत्र के आलोक में विभिन्न बिन्दुओं पर जाँच हेतु कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–120 दिनांक–12.03.2026 के तहत दो सदस्यीय जाँच दल का गठन किया गया था। जाँच दल के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में निम्न तथ्य स्पष्ट होता है :–

1.राजेन्द्र नगर (नई) को0–ऑपरेटिव कॉलोनी, वेलफेयर समिति की स्थिति :–

जमशेदपुर को0–ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाईटी लि0, साकची, जमशेदपुर के जाँच के क्रम में प्रबंध समिति के पदाधिकारी एंव कर्मियों द्वारा जाँच दल को यह जानकारी दी गई की दिनांक–27.03.2024 को चयनित वेलफेयर समिति की अधिकांश सदस्य सहकारी समिति के विधिवत मूल्य सदस्य नही है, जाँच दल समिति से वेलफेयर समिति की उपविधि की माँग करने पर जाँच दल को उपविधि नही उपलब्ध कराया गया। प्रबंध समिति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वेलफेयर समिति के अधिकांश सदस्य सहकारी समिति के हिस्सा धारक नही है, इसलिए उसके द्वारा कराये जा रहे कार्य वैधानिक प्रतीत नही होते है।

इस संदर्भ में प्रबंध समिति को यह निदेश दिया जाता है कि वेलफेयर समिति की अद्यतन स्थिति को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार निराकरण करना सुनिश्चित करे।

2. सहकारी समिति राजेन्द्र नगर, साकची के अंतर्गत आवंटित आवास में व्यवसायी कार्य संचालित करने के संबंध में :–

इस संदर्भ में जमशेदपुर हाउस बिल्डिंग के द्वारा आवंटित आवास संख्या–55 के मालिक श्री काशी नाथ अग्रवाल पर आरोप है कि उनके द्वारा आवंटित आवास को The Villa Hotel के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

जाँच के क्रम में स्थानीय कॉलोनी निवासी से पूछताछ करने पर जानकारी दी गई है कि आवास संख्या–55 को होटल के रूप में बदलने के कारण आवासीय कॉलोनी को आवंटित बिजली, पानी का व्यवसायिक उपयोग करने के कारण कॉलोनी निवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

इस संदर्भ में प्रबंध समिति स्पष्ट करें, किस परिस्थिति में आवास संख्या–55 को होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। सहकारी समिति द्वारा इस संदर्भ में क्या कार्रवाई की गई है। सहकारी समिति की उपविधि में इससे संबंधित क्या नियम है? यह स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

3. **Electricity Supply/Underground Cable Work :-**

जाँच के क्रम में यह तथ्य सामने आया है कि समिति कॉलोनी में बिजली आपूर्ति का सर्विस प्रोवाइडर टाटा की सहायक कम्पनी के द्वारा की जाती है, इसी तरह कॉलोनी में पानी की सप्लाई की सुविधा, बिजली और इसी तरह की यूटिलिटीज जमशेदपुर को0–ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाईटी लि0 के दायरे में आता है।

इस संदर्भ में समिति को निदेश दिया जाता है कि Electricity Supply /Underground Cable Work को अपने नियंत्रण में नियमानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें, तथा उपरोक्त कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. गार्ड रूम, ड्रॉप गेट, **CCTV** अधिष्ठापन के संबंध में :–

वेलफेयर समिति पर यह आरोप है कि कोटेशन को नजरअंदाज कर श्री करण कुमार, नामक वेंडर से 91440.00 का बिल भुगतान कर दिया गया। इसी तरह गार्ड रूम, ड्रॉप गेट का निर्माण बिना प्राक्कलन एंव तकनीकि स्वीकृति के निर्माण कराकर 128000.00 रू0 का भुगतान कर दिया गया, जो अनियमित्ता का परिचायक है। इस संदर्भ में जमशेदपुर हाउस बिल्डिंग को–ऑपरेटिव सोसाईटी के प्रबंध समिति को यह निदेश दिया जाता है कि वेलफेयर समिति के सदस्यों को नियमानुसार समिति का हिस्साधारक बनाना सुनिश्चित करें, साथ यह स्पष्ट करें कि बिना सहकारी समिति के सदस्य बने हुए समिति के कार्य का संचालन वेलफेयर समिति द्वारा किस परिस्थिति में किया जा रहा है।

जाँच के क्रम में उपरोक्त बिन्दुओं के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रबंध समिति जमशेदपुर को0–ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाईटी लि0, साकची, जमशेदपुर का यह निदेश दिया जाता है कि त्रुटियों का निराकरण कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई की जानकारी अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

10/04/25

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Society Order (Forwarding).

The Jamshedpur Co-operative House Building Society Ltd.

CO-OPERATION IS STRENGTH

Rajendranagar, Sakchi
Jamshedpur-831001
(Registration No. 8-SB of 1950)
Ph. 2425625

Ref.No. HBS/48

Dated 18/05/2026

To

The Secretary,

Rajendra Nagar (New) Welfare Committee,

Rajendra Nagar (New) Colony,

Sakchi, Jamshedpur.

Sub. – Orders / Instructions given by the DCO regarding the Complains and Grievances Raised by Sri.Anupam Sinha of Plot No. – 68, RNCC.

Ref. – Letter obtained from District Co-operative Officer (Letter No. – 79, Dt. – 12.02.2026 & Letter No. – 175, Dt. – 10.04.2026)

Sir,

With reference to the above subject and in addition to the Instructions given to you by the Society Office vide Letter No.- HBS/321 Dt. – 14.02.2026, you are hereby requested to do Strict Compliance of the Instructions/Orders from the DCO, vide Letter No. – 79, Dt. –12.02.2026.

You are therefore notified to do the following compliance –

1. Submit the Documents (Notice/MOM, etc.) related the General Body Meetings from November - December 2025 to March 2026.

2. As initially instructed by the DCO, please submit the Accounts Statements (Income & Expenditure Statement) of Rajendra Nagar (New) Welfare Committee, till 31st.March, 2026.

3. Please submit the Bank Statement of A/c. No. – 07190100011633, UCO Bank, of Rajendra Nagar (New) Welfare Committee from November-December 2025 to 31st. March, 2026.

4. Please submit details of Withdrawal from the UCO Bank A/c. since 1st. April, 2026 till date.

You are being hereby informed that, an enquiry was conducted by the DCO, East Singhbhum and based on the Enquiry Report, the Allegations of Irregularities done by the Office Bearers of the Rajendra Nagar (New) Welfare Committee, have been found true.

In the Letter under reference from the DCO, vide Letter No. – 175, Dated 10.04.2026, it is categorically mentioned that the work being done by the Welfare Committee, does not appear to be legal.

It has been found that CCTV Camera Installation was done at a higher cost of Rs.91,440/= by

Disregarding the Quotations. The construction and installation of the Guard Room and Drop Gate was done without proper Estimate or Technical Approval and thereafter around Rs.1,28,000/= was illegitimately paid off. These are indicative of Irregularity and Misconduct.

You are also requested to explain the reasons of writing a Back Dated Letter (Dt. - 23.01.2023) to the UCO Bank, Sakchi Branch, about the Resignation of Mr.Anupam Sinha, from the post of Asst. Secretary.

The Present Welfare Committee was formed in April, 2024 and as per your Letter and enclosure submitted to UCO Bank, Mr.Anupam Sinha, had tendered his resignation on 08.06.2024.

You are also being informed that as per the Letter under reference from the DCO, vide Letter No. – 175, Dated 10.04.2026 - The provision of Water Supply, Electricity and Similar Utilities in the Colony falls under the purview of the Jamshedpur Co-operative House Building Society Ltd. The same is also mentioned in Clause 60(e), of the Society's By-Laws, as well. And therefore, the Jamshedpur Co-operative House Building Society Ltd. has been specifically instructed to undertake the Electricity Supply / Underground Cable Work, directly under its own purview, by the DCO, East Singhbhum.

Consequently, it is evident that the Welfare Committee has No Legal Authority to carry-out the Underground Cabling Work and therefore the execution of the Underground Cabling work by the Welfare Committee is blatantly Unlawful.

You are therefore, Notified to Revert / Refund any expenditures made and/or withdrawals from the UCO Bank A/c. of the Welfare Committee, against Labour Payments and/or Material Procurement, etc. for the Underground Cabling Work, within a stipulated time.

A copy of the Letters under Reference, from the DCO, vide Letter No. – 79, Dt. – 12.02.2026 & Letter No. – 175, Dt. – 10.04.2026, has been enclosed for your kind perusal and necessary compliance.

You are also being hereby notified that any violation and or non compliance of the aforesaid shall be treated as violations of government orders and shall be liable to lawful prosecutions.

Yours faithfully,

President

Encl. - Letters under reference from the district co-operative office (letter no.79, dt. 12.02.2026& Letter no. 175, dt. 10.04.2026)

Copy to. – District co-operative officer, District – East Singhbhum.

Anupam Sinha 68 R.N.C.C New

R/C.

Annexure - 2
Series contd.

(Complaint against NGT Violations)

Date – 22.07.2026

To
The President,
Jamshedpur Co-operative House Building Society Ltd.,
Rajendra Nagar, Sakchi, Jamshedpur.

Sub. – Intimation / Complaint against unlawful Concretization around Tree Trunks, at Rajendra Nagar (New) Colony, Sakchi, Jamshedpur.

Ref. – Order of the Hon'ble NGT (National Green Tribunal), Principal Bench, New Delhi, Dt. – 23.04.2013, in Application No. – 82 of 2013, by Hon'ble Mr. Justice Swatanter Kumar and Hon'ble Justice Mr. U.D.Salvi.

Respected Sir,

With reference to the above, I would like to bring to your kind attention that the space between the Road and the Playground of our Colony is being Concretized. There are lot of Trees in this space and the Tree Trunks are now being encircled with Concrete. Some recent Pictures of the Concretization around the Tree Trunks at Rajendra Nagar (New) Colony, are attached herewith for your kind Perusal.

The recent Concretization around the Trees at Rajendra Nagar (New) Colony, is an offense and violation of the Order of the Hon'ble NGT (National Green Tribunal), Principal Bench, New Delhi, Dt. – 23.04.2013, in Application No. – 82 of 2013, by Hon'ble Mr. Justice Swatanter Kumar and Hon'ble Justice Mr. U.D.Salvi and may therefore lead to Contempt of Court being violation of Hon'ble NGT Orders.

The Conservator of Forests, New Delhi, in its General Notice Dt. – 24.06.2019, has clearly mentioned that – "Concretization around Trees not only hampers root aeration but also the percolation of water which could ultimately lead to death of the Trees." It was also brought to the Notice of all Government Departments under GNCTD and General Public that – "Concretization of Trees not only damages the Tree, **it is also an offense under Section 8 of Preservation of Trees Act, 1994**. In addition, it will also amount to contempt of court being **violation of Hon'ble NGT Orders**."

22/07/2026.

22/07/26

22/07/26.

52.

I would therefore humbly request you to kindly take Cognizance of this offensive activity and violation of Hon'ble NGT Orders. I would also humbly request you to kindly take corrective action to stop such offensive activities, forthwith and ensure that such Violations of Tribunal Orders are not practiced within the Colonies under JCHB Society Ltd.

This submission is for your kind information and necessary action please. Your strict action in this regard, will ensure the Respect and Compliance of Hon'ble NGT Orders and also help maintain Civic Law & Order within our Colony; for which I shall remain ever obliged.

Thanking you.

With Regards,

22/07/26.

22/07/2026.

[ANUPAM SINHA]
H.No. – 68, Rajendra Nagar (New) Colony,
Sakchi, Jamshedpur – 831001.
Ph. – 9431166737.

Encl. – Pictures of Concretization around Tree Trunks.

Copy To –

- Smt. Ulka Sarkar,
  Convenor – Cum – President, RNCC (New) Welfare Committee.
- District Co-operative Officer, East Singhbhum.
- DFO, Jamshedpur Range. 23/7/26
- Conservator of Forests, Jamshedpur, Jharkhand.

23/07/2026

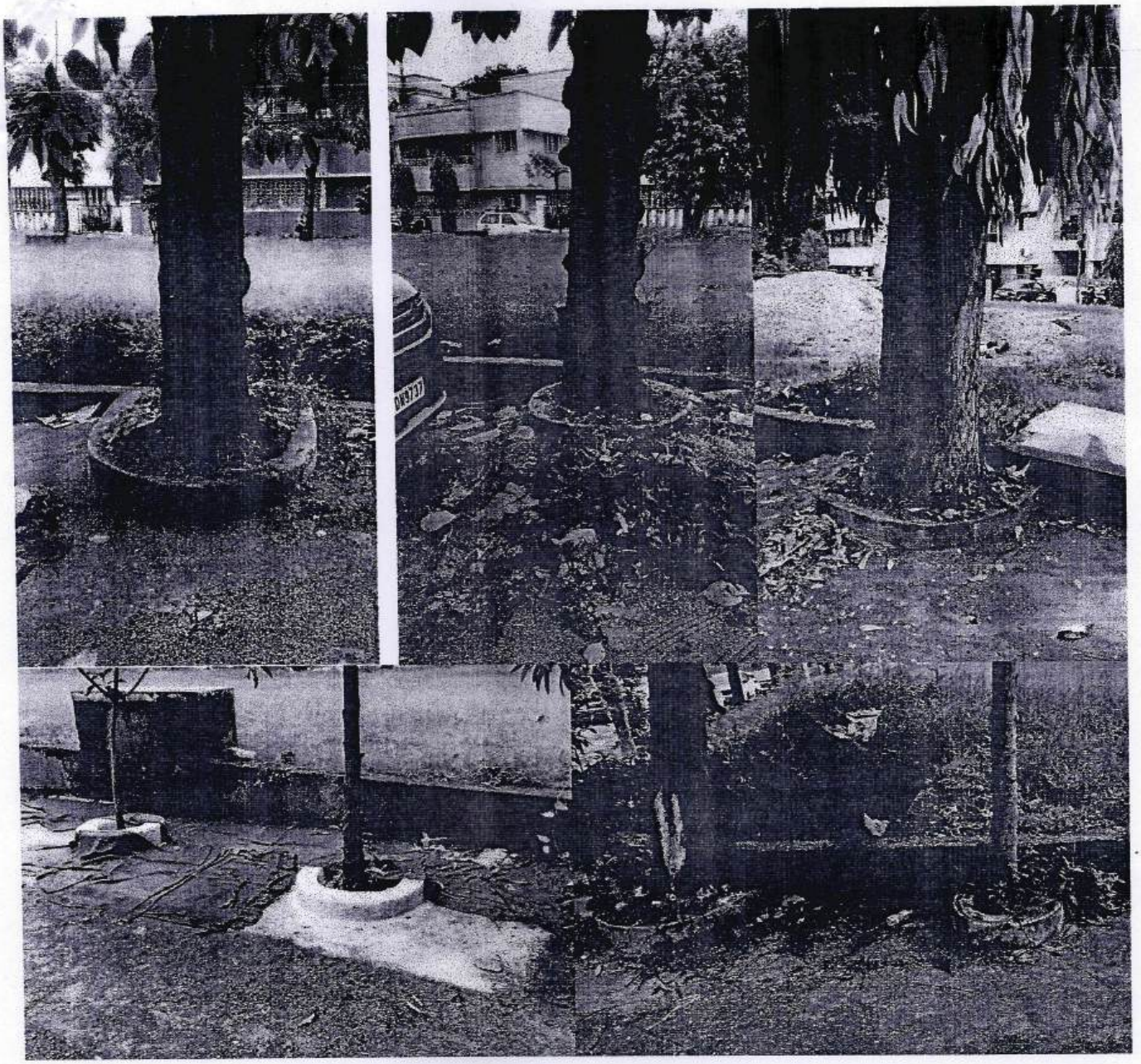

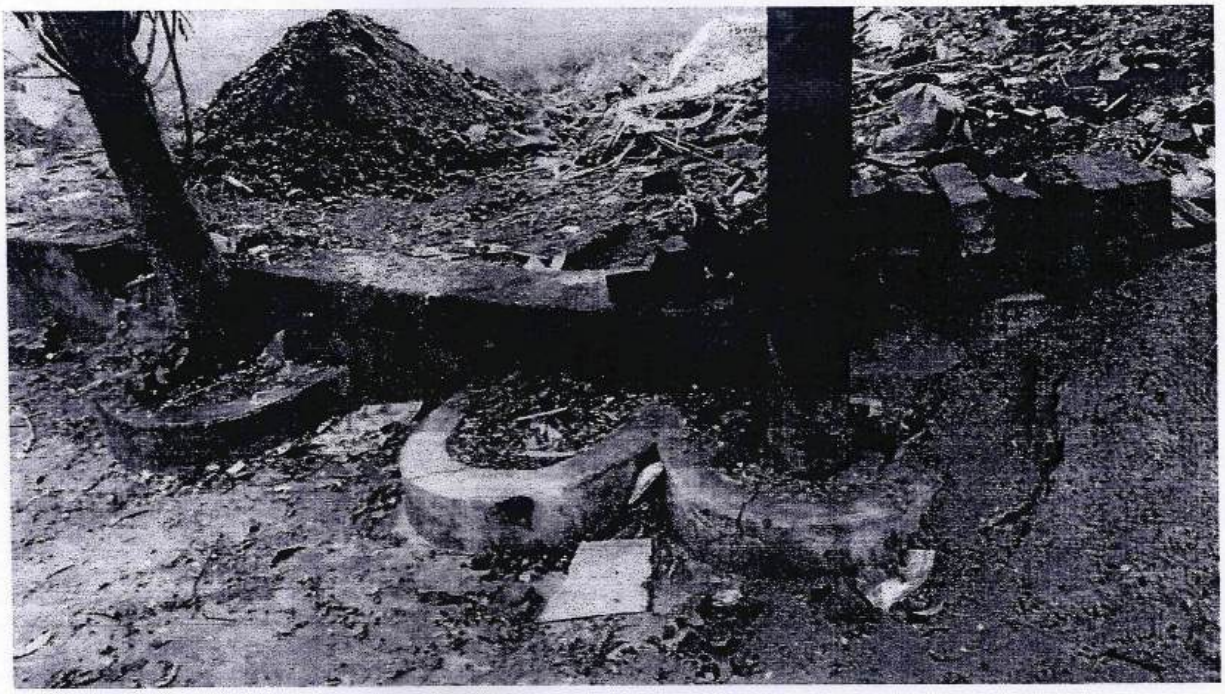

R/c.

Annexure - 16
(Ulka Sarkar Letter)

दिनांक – 30/07/2026.

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी
जिला - पूर्वी सिंहभूम
जमशेदपुर।

विषय - जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में सोसाइटी के ज़मीन में अतिक्रमण करने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या एवं सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के संभावना के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में कुछ विशेष लोगों द्वारा (H.No. – 72,73,74 एवं 60) अपने आवंटित ज़मीन के सामने सोसाइटी के ज़मीन एवं रोड का अतिक्रमण किया जा रहा है। उक्त Plot Holders के द्वारा अपने आवंटित ज़मीन के बाउंड्री के बाहर सोसाइटी के कॉमन एरिया पर ऊँचे करके ढलाई कर उस पर टाइल्स, ग्रेनाइट पथ्थर, इत्यादिः लगाकर ज़मीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। इस तरह से किये गए अतिक्रमण के वजह से आस-पास के लोगों को काफी असुविधा हो रही है एवं किसी भी समय इससे विधि-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है और सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि इस तरह के अतिक्रमण एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है।

Received By
AW
03.08.26

इस सम्बन्ध में जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के द्वारा उक्त Plot Holders को पूर्व में भी Notice देकर ऐसा करने से रोका गया था एवं किये गए अतिक्रमण को तोड़ने का भी आदेश दिया गया था। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को पूर्व में पत्रांक क्र. - HBS/24, दिनांक – 22.04.2026 के माध्यम से उक्त अतिक्रमण के खिलाफ शिकायक किया गया था। जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के द्वारा दिए गए शिकायत पत्र में विशेष रूप से H.No. – 72,73,74 एवं 60 के द्वारा किये गए अतिक्रमण के बारे में शिकायत किया गया था जिसपर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा CO जमशेदपुर तो जाँच करने का निर्देश भी दिया गया था जो अभी लंबित है।

30/7/26

महोदया को सूचित करना है कि वर्तमान में जांच लंबित रहने के दौरान ही विगत 4-5 दिनों से H.No. – 72,73,74 एवं 60 के मालिकों द्वारा अन्य घरों के सामने भी सोसाइटी की ज़मीन पर RCC Concrete से ढलाई कर उन जगहों को भी अतिक्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय
गोपनीय शाखा
30 JUL 2026
पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड

30/7/2026

30/07/2026

वर्तमान में हमारे कॉलोनी में लगें पेड़ों के चारों तरफ भी RCC Concrete से ढलाई कर पक्का कर दिया जा रहा है जो कि NGT (National Green Tribunal) के नियमों का उलंघन है।

अतः महोदया से सविनय निवेदन है कि विधि-व्यवस्था के मद्देनज़र, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्राप्त सुचना पर संज्ञान लेते हुए हमारे कॉलोनी में NGT (National Green Tribunal) के नियमों का उलंघन कर किये जा रहे अतिक्रमण एवं अन्य घरों के सामने सोसाइटी की ज़मीन पर RCC Concrete से ढलाई कर उन जगहों को अतिक्रमित करने को अविलम्ब रोकने हेतु उचित कार्रवाई करने का कृपा करें जिसके लिए मैं सदैव महोदय का आभारी रहूंगी।

धन्यवाद्।

भवदीय,

(उल्का सरकार) 30/07/2026.

कार्यकारी समिति सदस्य, JCHB Society Ltd.

Convenor - राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी वेलफेयर समिति

H.No. - 76, राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी (RNCC),

पोस्ट व थाना - साकची, जमशेदपुर – 831001.

Ph. – 9905171008 , 9334627094.

प्रतिलिपि -

- अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, जिला पूर्वी सिंहभूम।
- थाना प्रभारी , साकची थाना।
- अध्यक्ष , JCHB Society Ltd.
- SSP, Jamshedpur.

30/07/26

प्राप्त किया
30/7/26
अनुमण्डल कार्यालय
धालभूम, जमशेदपुर

(Series).

Gmail

ANUPAM SINHA <asinha4u.jsr@gmail.com>

जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर 440V विद्युत उपकरण लगाने के सम्बन्ध में |

1 message

ANUPAM SINHA <asinha4u.jsr@gmail.com> Sun, Jul 26, 2026 at 12:42 PM
To: cp.jscpcr@gmail.com

सेवा में,

श्रीमान सदस्य सचिव महोदय (MEMBER SECRETARY)
Jharkhand State Commission for Protection of Child Rights
झारखण्ड सरकार,
रांची , झारखण्ड |

विषय - जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर 440V **विद्युत उपकरण लगाने के सम्बन्ध में** |

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्व में निवेदन पूर्वक कहना है कि जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, जमशेदपुर के अंतर्गत आवासीय कॉलोनी राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लगाने के लिए नियमों का उलंघन कर बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर 440 Voltage विद्युत उपकरण लगाकर कॉलोनी के घरों में बिजली सप्लाई देने का कार्य किया जा रहा है।

कॉलोनी में बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवं अन्य 440 Voltage विद्युत उपकरण, Feeder Pillar इत्यादिः लगाकर 440 Volts 3P केबल्स से सभी घरों को बिजली सप्लाई करने के लिए जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंघभूम को अनुमति हेतु एक प्रस्ताव सौंपा गया है।

महोदय को सूचित करना चाहते हैं की खेलने के मैदान पर (Playground) पर इलेक्ट्रिकल फीडर पिलर लगाना खरतनाक व असुरक्षित है। बच्च्चों का किसी भी समय बिजली द्वारा प्राणदण्ड का खतरा हो सकता है क्योंकि फीडर पिलर बॉक्स में किसी भी तरह के लीकेज करंट की वजह से उन्हें जानलेवा बिजली का झटका लगने या आर्क फ्लैश का गंभीर खतरा हो सकता है। फीडर पिलर बॉक्स में नमी घुसने, बारिश एवं हवा में नमी के कारण पानी जमने (कंडेनसेशन), पुराने या गर्मी से खराब हुए इंसुलेशन एवं इलेक्ट्रिकल केबलों और अन्य High Voltage विद्युत उपकरणों की कुल कैपेसिटेंस के कारण लीकेज करंट की समस्या हो सकती है। यह बच्चों एवं आम जान-जीवन के लिए एक स्थायी खतरा होगा, जो समय के साथ और भी गंभीर होता जाएगा। समय के साथ पुरानी और गर्मी से खराब हो चुकी केबल इंसुलेशन और बसबार सपोर्ट के कारण अनचाहा करंट मेटल एनक्लोजर और ग्राउंड में रिस सकता है।

अतः महोदय से सविनय निवेदन है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्राप्त सुचना पर संज्ञान लेते हुए हमारे कॉलोनी में नियमों का उलंघन कर किये जा रहे विद्युतीकरण कार्यों को अविलम्ब रोकने और बच्चों एवं आम जान-जीवन के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भविष्य में भी बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवं अन्य 440 Voltage विद्युत उपकरण, Feeder Pillar, इत्यादिः न लगाने के लिए सम्बंधित आदेश पारित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देने एवं इस सन्दर्भ में अन्य उचित कार्रवाई करने का कृपा करें जिसके लिए मैं सदैव महोदय का आभारी रहूँगा।

धन्यवाद |
भवदीय,
Sd./-
(अनुपम सिन्हा)
H.No. - 68, राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी (RNCC),
पोस्ट व थाना - साकची, जमशेदपुर – 831001.
Ph. - 9431166737.
Mail - asinha4u.jsr@gmail.com

Page - 57.

Gmail

ANUPAM SINHA <asinha4u.jsr@gmail.com>

विषय - जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर 440V विद्युत उपकरण लगाने के सम्बन्ध में।

1 message

ANUPAM SINHA <asinha4u.jsr@gmail.com>
To: "SWDJharkhand@gmail.com" <SWDJharkhand@gmail.com>

Sun, Jul 26, 2026 at 12:54 PM

सेवा में,

श्रीमान सचिव महोदय
Department of Women, Child Development & Social Security.
झारखण्ड सरकार,
रांची , झारखण्ड।

विषय - जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर 440V **विद्युत उपकरण लगाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्व में निवेदन पूर्वक कहना है कि जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, जमशेदपुर के अंतर्गत आवासीय कॉलोनी राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लगाने के लिए नियमों का उलंघन कर बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर 440 Voltage विद्युत उपकरण लगाकर कॉलोनी के घरों में बिजली सप्लाई देने का कार्य किया जा रहा है।

कॉलोनी में बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवं अन्य 440 Voltage विद्युत उपकरण, Feeder Pillar इत्यादिः लगाकर 440 Volts 3P केबल्स से सभी घरों को बिजली सप्लाई करने के लिए जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंघभूम को अनुमति हेतु एक प्रस्ताव सौंपा गया है।

महोदय को सूचित करना चाहते हैं की खेलने के मैदान पर (Playground) पर इलेक्ट्रिकल फीडर पिलर लगाना खरतनाक व असुरक्षित है। बच्च्चों का किसी भी समय बिजली द्वारा प्राणदण्ड का खतरा हो सकता है क्योंकि फीडर पिलर बॉक्स में किसी भी तरह के लीकेज करंट की वजह से उन्हें जानलेवा बिजली का झटका लगने या आर्क फ्लैश का गंभीर खतरा हो सकता है। फीडर पिलर बॉक्स में नमी घुसने, बारिश एवं हवा में नमी के कारण पानी जमने (कंडेनसेशन), पुराने या गर्मी से खराब हुए इंसुलेशन एवं इलेक्ट्रिकल केबलों और अन्य High Voltage विद्युत उपकरणों की कुल कैपेसिटेंस के कारण लीकेज करंट की समस्या हो सकती है। यह बच्चों एवं आम जान-जीवन के लिए एक स्थायी खतरा होगा, जो समय के साथ और भी गंभीर होता जाएगा। समय के साथ पुरानी और गर्मी से खराब हो चुकी केबल इंसुलेशन और बसबार सपोर्ट के कारण अनचाहा करंट मेटल एनक्लोजर और ग्राउंड में रिस सकता है।

अतः महोदय से सविनय निवेदन है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्राप्त सुचना पर संज्ञान लेते हुए हमारे कॉलोनी में नियमों का उलंघन कर किये जा रहे विद्युतीकरण कार्यों को अविलम्ब रोकने और बच्चों एवं आम जान-जीवन के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भविष्य में भी बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवं अन्य 440 Voltage विद्युत उपकरण, Feeder Pillar, इत्यादिः न लगाने के लिए सम्बंधित आदेश पारित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देने एवं इस सन्दर्भ में अन्य उचित कार्रवाई करने का कृपा करें जिसके लिए मैं सदैव महोदय का आभारी रहूँगा।

धन्यवाद्।
भवदीय,

Sd./-
(अनुपम सिन्हा)
H.No. - 68, राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी (RNCC),
पोस्ट व थाना - साकची, जमशेदपुर – 831001.
Ph. - 9431166737.
Mail - asinha4u.jsr@gmail.com

R/C.

दिनांक 08/10/2026.

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी
जिला - पूर्वी सिंघभूम
जमशेदपुर।

विषय - जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी वेलफेयर समिति के पदाधिकारीयों द्वारा वित्तीय लेन-देन एवं समिति के कामकाज में कई अनिमितताएं एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय से निर्गत आदेश का उल्लंघन तथा इन विषय के सम्बन्ध में माननीय CJM के न्यायलय में मामला विचाराधीन रहने की परिस्थिति में DCO कार्यालय को गुमराह कर आदेश प्राप्त कर गैर कानूनी एवं माननीय NGT ट्रिब्यूनल के स्पस्ट आदेशों का उल्लघन कर विद्युतीकरण (Under Ground Cable Laying & Distribution) कार्य करने के सम्बन्ध में आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्व में सविनय निवेदन है कि मैं अनुपम सिन्हा, पिता स्व. चंडी दास सिन्हा, H.No. 68, राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी, पोस्ट व थाना - साकची, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंघभूम का निवासी हूँ जो कि जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत एक कोऑपरेटिव कॉलोनी है।

Rec'd 08/10/2026

महोदया को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी वेलफेयर समिति के पदाधिकारीयों द्वारा, दिसंबर 2025 से लेकर लगभग जनवरी 2026 के बीच में कॉलोनी के अंदर कुछ कार्य किये गए थे जिसमें फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेजों के माध्यम से राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में वित्तीय लेन-देन एवं कामकाज में कई अनियमितताएं और कदाचार किए गए थे। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच, वेलफेयर कमिटी के पदाधिकारी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर बेईमानी से वेलफेयर फंड का गबन और दुरुपयोग किया। उन्होंने जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना और आवश्यक मंजूरी लिए बिना, बड़े खर्च वाले कुछ काम करने की कोशिश की, जिनका खर्च कॉलोनी के वेलफेयर फंड से किया गया था। (कुल कथित राशि - ₹ 9,43,705/=)

मैंने दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2026 को जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के समक्ष पत्रचार के माध्यम से इन विषयों पर अपना शिकाय दर्ज कराया था लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब या सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अंततः मैंने दिनांक 9 अप्रैल 2026 को तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से शिकायत गरज कराया।

सुलभ प्रसंग हेतु मेरे द्वारा किये गए पत्राचार की छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की जा रही है।

Anupam Sinha
08/10/26.

3 मुख्य घटनाएं हुई:

1. कॉलोनी के कुछ प्लॉट मालिकों की एक अनौपचारिक बैठक में यह चर्चा और फैसला किया गया कि कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर एक गार्ड रूम और ड्रॉप गेट बनाया जाएगा। काम शुरू करने के लिए ₹50,000 का अनुमानित बजट (Adhoc Budget) मंजूर किया गया और वेलफेयर फंड से ₹50,000 की राशि अस्थायी रूप से जारी की गई। यह राशि बाद में इकट्ठा करके वेलफेयर अकाउंट में वापस जमा की जानी थी।
इस प्रोजेक्ट का खर्च आखिरकार ₹1,46,705 तक पहुंच गया (यानी प्रस्तावित बजट का लगभग 3 गुना)।
गार्ड रूम और ड्रॉप गेट पर ₹1,28,610 खर्च किए गए और गार्ड रूम के पास कुछ शौचालय आदि बनाने पर ₹18,095 खर्च किए गए (कुल खर्च ₹1,46,705 हुआ)। लेकिन लागत बढ़ने पर बिना किसी चर्चा या समीक्षा के; वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों ने जनरल बॉडी की मंज़ूरी या सहमति के बिना वेलफेयर कमिटी के अकाउंट से पूरा रकम Cash में खर्च कर दिया।

2. इसी तरह, कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में CCTV कैमरे लगाने का एक प्रस्ताव भेजा गया। वेलफेयर समिति के कोषाध्यक्ष (ट्रेज़रर) - श्री विशाल त्रेहान ने 2 वेंडरों से 4 कोटेशन लिए। ये 4 कोटेशन इस प्रकार थे –

1. M/s. पिक्सेल एंटरप्राइजेज़ - 35,370 रुपये
2. M/s. सूरज एंटरप्राइजेज़ - 49,400 रुपये
3. M/s. सूरज एंटरप्राइजेज़ - 50,200 रुपये
4. M/s. सूरज एंटरप्राइजेज़ - 55,800 रुपये

M/s. सूरज एंटरप्राइजेज़ का सबसे ज़्यादा कोटेशन (55,800 रुपये) फाइनल किया गया और सचिव - श्री परितोष भगत ने इसे 8 दिसंबर, 2025 को कॉलोनी के WhatsApp Group पर दोबारा शेयर किया। कॉलोनी के वेलफेयर फंड से पैसे जारी करने के लिए M/s. सूरज एंटरप्राइजेज़ का यही 55,800 रुपये वाला कोटेशन JCHB सोसाइटी लिमिटेड को सौंपा गया।
55,800 रुपये का सबसे ज़्यादा कोटेशन फाइनल होने के बावजूद, CCTV का काम "करण कुमार" नाम के किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर 91,440 रुपये के बिल के साथ किया गया। इसके अलावा, लागत बढ़ने पर बिना किसी चर्चा या समीक्षा के, वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों ने उक्त "करण कुमार" के नाम से 86,000 रुपये का भुगतान कर दिया।

3. अंडरग्राउंड केबलिंग और बिजली वितरण - जनवरी 2026 के दौरान, वेलफेयर कमिटी के सदस्यों के बीच चल रही चर्चाओं और शिकायतकर्ता द्वारा जताई गई आपत्तियों के बावजूद; वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर, JCHB सोसाइटी लिमिटेड या M/s. TSUSIL (पहले JUSCO) से ज़रूरी मंज़ूरी लिए बिना, गैर-कानूनी और अनुचित तरीके से अंडरग्राउंड केबलिंग और बिजली वितरण का काम करने की कोशिश की।

JCHB सोसाइटी लिमिटेड के नियमों (बाय-लॉज़) के क्लॉज़ 60(c) के अनुसार, सिविक यूटिलिटीज़ और सुविधाओं — जैसे पानी की सप्लाई, ड्रेनेज की सुविधा, लाइटिंग (बिजली) और ऐसी ही अन्य सुविधाओं का प्रबंधन सोसाइटी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसके बावजूद भी उक्त कार्य को करने के लिए अवैध तरीके से वेलफेयर फंड से लगभग 7 लाख रुपये (पूरे नकद में) खर्च किए गए।

महोदया को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि राजेंद्र नगर कोआपरेटिव कॉलोनी को बिजली, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज और सीवर सिस्टम, वगैरह जैसे सभी यूटिलिटी सर्विसेज टाटा कंपनी के द्वारा घरेलू दरों पर दी जा रही हैं। समिति के नियमों के अनुसार इस आवासीय कॉलोनी के अंदर कोई व्यावसायिक कार्य / कमर्शियल एक्टिविटी किया जाना आवंटन (Sub - Lease) के शर्तों का स्पस्ट उल्लंघन है मगर फिर भी वर्षों से हमारे कॉलोनी में होटल, गोदाम, डॉक्टरों के Clinic / OT इत्यादिः जैसे व्यावसायिक कार्य / कमर्शियल एक्टिविटी चल रहें हैं। M/s. TATA Steel Ltd. ने JCHBS Ltd. समिति को इस बारे में कई चेतावनी पत्र जारी किए; फिर भी सोसाइटी ऑफिस ऐसे प्लॉट मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। केवल ज़रूरी रिकॉर्ड Keeping और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऐसे प्लॉट मालिकों को सिर्फ़ Notice भेज कर ऑफिस की औपचारिकता पूरी की जाती है।

JCHB सोसाइटी लिमिटेड की ओर से कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई और इसके बाद मैंने 09.02.2026 को DCO, पूर्वी सिंहभूम को शिकायत पत्र के ज़रिए हस्तक्षेप की मांग की।

[Annex – 7 : DCO, पूर्वी सिंहभूम को की गई शिकायत की प्रति, तारीख - 09.02.2026]

DCO द्वारा कार्रवाई / जांच / आदेश :

1. कथित गड़बड़ियों की गंभीरता को देखते हुए और DC, पूर्वी सिंहभूम तथा SDM, धालभूम के निर्देशों के तहत; DCO, पूर्वी सिंहभूम ने मामले की जांच का आदेश दिया।
2. समीक्षा और जांच के बाद, शिकायत में दम और पर्याप्त आधार पाते हुए, DCO, पूर्वी सिंहभूम ने पत्र संख्या - 79, दिनांक - 12.02.2026 के माध्यम से संबंधित निर्देशों के साथ एक अंतरिम आदेश जारी किया।
3. इसके बाद, 2 (दो) सदस्यीय जांच टीम द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन के आधार पर; DCO पूर्वी सिंहभूम ने पत्र संख्या - 175, दिनांक - 10.04.2026 के माध्यम से कुछ विशिष्ट टिप्पणियों और संबंधित निर्देशों के साथ अंतिम आदेश जारी किया। उक्त सरकारी आदेश JCHB सोसाइटी लिमिटेड को 15.04.2026 को प्राप्त हुआ।

[Annex - 8 Series : DCO के अंतरिम और अंतिम आदेशों की प्रतियां]

DCO, पूर्वी सिंहभूम के उक्त आदेश को JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद, JCHB सोसाइटी लिमिटेड के पत्र संख्या - HBS/48, दिनांक - 18.05.2026 के माध्यम से राजेंद्र नगर (नई) वेलफेयर समिति के सचिव को कुछ विशिष्ट निर्देशों और आदेशों के साथ भेजा गया।

[Annex – 9 : JCHB सोसाइटी लिमिटेड के पत्र संख्या - HBS/48, दिनांक - 18.05.2026 की प्रति]

उक्त पत्र में यह दर्ज था कि - "राजेंद्र नगर (नई) वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के आरोप सही पाए गए हैं"। वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे वेलफेयर कमिटी के बैंक अकाउंट से खर्च की गई या निकाली गई रकम वापस करें। उसी पत्र की एक प्रति शिकायतकर्ता को भी भेजी गई थी।

3 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, DCO पूर्वी सिंहभूम के सरकारी आदेशों का कोई अनुपालन नहीं किया गया है।

वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों द्वारा सरकारी आदेशों का उल्लंघन व अवमानना कर रहे हैं और अभी भी गैर-कानूनी तरीके से जनता का पैसा/वेलफेयर फंड अपने पास रखे हुए हैं; उन्हें यह रकम वापस करनी होगी।

जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा इन गैर कानूनी कार्यों को संरक्षण एवं श्रेय दिया जा रहा है। JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) श्री श्रीकृष्ण पांडेय के खिलाफ आरोप इस प्रकार हैं -

1. पहला आरोप - JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) श्री श्रीकृष्ण पांडेय ने DCO, पूर्वी सिंहभूम को लेटर नंबर HBS/332, तारीख 25.02.2026 के ज़रिए एक झूठा जवाब सौंपा। इसमें दी गई कई बातें झूठी, मनगढ़ंत और तथ्यों के विपरीत थीं।

[Annex – 11 : JCHB सोसाइटी के लेटर नंबर HBS/332, तारीख 25.02.2026 की कॉपी]

i. उक्त लेटर नंबर HBS/332, तारीख 25.02.2026 के पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि - पिछले 3 (तीन) महीनों (यानी नवंबर 2025, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026) के दौरान बुलाई गई वेलफेयर कमिटी की जनरल बॉडी मीटिंग से जुड़े सभी दस्तावेज़ (जैसे नोटिस, अटेंडेंस और मीटिंग के मिनट्स) साथ में लगाए जा रहे हैं।

हालांकि, असलियत यह है कि इन 3 (तीन) महीनों के दौरान वेलफेयर कमिटी की कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुई थी और जांच के दौरान जांच टीम को यही बताया गया था।

ii. उक्त लेटर नंबर HBS/332, तारीख 25.02.2026 के पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि कुल 25 प्लॉट होल्डर्स में से 20 सदस्यों के हस्ताक्षर वाली अटेंडेंस शीट और मीटिंग के मिनट्स साथ में लगाए गए हैं।

हालांकि, असलियत यह है कि किसी खास जगह पर कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुई थी। बल्कि, कुछ प्लॉट होल्डर्स के हस्ताक्षर उनके घरों पर ही कागज़ की एक अलग शीट पर लिए गए थे और उन्हें JCHB सोसाइटी लिमिटेड के ऑफिस में सौंपे गए हाथ से लिखे लेटर के साथ जोड़ दिया गया था, ताकि इसे जनरल बॉडी मीटिंग के मिनट्स जैसा दिखाया जा सके और इसके पीछे गलत नीयत थी।

iii. उक्त लेटर नंबर HBS/332, तारीख 25.02.2026 के पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि – CCTV का काम वेलफेयर कमिटी ने सबसे कम कोटेशन ("Lowest Budget") वाले वेंडर से करवाया था।

हालांकि, असल बात यह है कि यह बयान पूरी तरह से गलत और झूठा है। असल में, सबसे ज़्यादा कोटेशन वाले वेंडर (सूरज एंटरप्राइजेज) को ₹55,800 (सबसे ज़्यादा कोटेशन) की लागत पर काम करने के लिए चुना गया था और बाद में पता चला कि काम का बिल किसी तीसरे पक्ष – "करण कुमार" ने ₹91,440 (इनवॉइस की रकम) की बढ़ी हुई रकम से बनाया था और ₹86,000 का भुगतान किया गया था।

iv. उक्त लेटर नंबर HBS/332, तारीख 25.02.2026 के पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि – पिछले 3 (तीन) वर्षों की जनरल बॉडी मीटिंग्स में पास किए गए प्रस्तावों (यानी मीटिंग के मिनट्स और प्रस्ताव, आदि) से संबंधित दस्तावेज़ तैयार कर लिए गए हैं, जिनकी प्रतियां साथ में लगाई और जमा की जा रही हैं।

हालांकि, असल बात यह है कि वेलफेयर कमिटी का गठन केवल 2 साल पहले अप्रैल, 2024 में पिछली AGM में हुआ था और इसलिए अभी 2 (दो) साल भी पूरे नहीं हुए हैं, जब यह जानकारी जमा की जा रही है। इसके अलावा, इन 2 वर्षों के दौरान एक भी जनरल बॉडी मीटिंग और/या AGM नहीं बुलाई गई है।

अतः JCHB सोसाइटी लिमिटेड के प्रेसिडेंट द्वारा पत्र नंबर – HBS/332, तारीख – 25.02.2026 के उपरोक्त पॉइंट्स के माध्यम से दी गई जानकारी गलत और झूठी है; जो स्पष्ट रूप से समिति के अध्यक्ष के गलत नीयत को दर्शाती है। सरकारी विभाग के किसी पब्लिक सर्वेंट को गलत जानकारी देने जैसे कृत्य एक गंभीर आपराधिक अपराध है जिसके खिलाफ BNS की धारा 217 के तहत मुकदमा माननीय CJM के न्यायालय में विचाराधीन है।

2. **दूसरा आरोप** - सरकारी अधिकारी द्वारा जारी सरकारी आदेश का गलत हवाला देना -
जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष ने अपनी मनमानी दिखाते हुए, लेटर नंबर HBS/41, तारीख 12.05.2026 के ज़रिए एक आदेश बनाया और जानबूझकर इस बनावटी और मनगढ़ंत लेटर को सभी वेलफेयर कमेटियों को भेजा, जिसमें DCO के आदेश के एक हिस्से का गलत हवाला दिया गया और उसे गलत तरीके से पेश किया गया।
[एनेक्शर – 8 सीरीज़ : कृपया देखें - दूसरा लेटर नंबर – 175, तारीख – 10.04.2026]

DCO के आदेश लेटर नंबर – 175, तारीख – 10.04.2026 में कहा गया है – **"यह निर्देश दिया जाता है कि वेलफेयर समिति के सदस्यों को नियमानुसार समिति का हिस्साधारक बनाना सुनिश्चित करें।"**
यानी – वेलफेयर कमेटी के मौजूदा सदस्यों (जो अभी JCHB सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य नहीं हैं) को सोसाइटी के नियमों के अनुसार कानूनी तौर पर JCHB सोसाइटी लिमिटेड का सदस्य (शेयरहोल्डर) बनाया जाना चाहिए।

मगर बताए गए सरकारी आदेश को सम्पूर्ण तरीके से उलट कर, जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष ने लेटर नंबर HBS/41, तारीख 12.05.2026 के ज़रिए, सरकारी अधिकारी द्वारा जारी सरकारी आदेश का जानबूझकर गलत हवाला दिया और कहा – "इसमें साफ निर्देश है कि गैर-सदस्य वेलफेयर कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे", जिसके परिणामस्वरूप मूल निर्देश पूरी तरह से उलट गया और दस्तावेज़ "शुरुआत से ही अमान्य" ("void ab initio") हो गया।
[Annex – 12 : लेटर नंबर HBS/41, तारीख 12.05.2026 की कॉपी]

3. **तीसरा आरोप** - नकली कल्याण समिति (Welfare Committee) का गठन –
सोसाइटी के पत्र संख्या HBS/41 (दिनांक 12.05.2026) के बाद, एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सचिव/सहायक सचिव के तौर पर हस्ताक्षर करके AGM का एक नकली नोटिस (दिनांक 12.06.2026) जारी किया गया।
मैंने 15.06.2026 के पत्र के माध्यम से JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष को इस अनधिकृत और अवैध बैठक के बारे में सूचित किया।
[Annex – 13 सीरीज़: शिकायत पत्र (दिनांक 15.06.2026) और नकली नोटिस (दिनांक 12.06.2026) की कॉपी]

मैंने ने 15.06.2026 के पत्र की कॉपी के साथ DCO, पूर्वी सिंहभूम और SDM, धालभूम को भी इस अनधिकृत और अवैध बैठक के बारे में सूचित किया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर, DCO, पूर्वी सिंहभूम ने तुरंत पत्र संख्या 350 (दिनांक 15.06.2026) के माध्यम से एक नोटिस (समन) जारी किया, जिसमें सभी संबंधित पक्षों को 19.05.2026 को DCO कार्यालय बुलाया गया।
[Annex – 14: नोटिस (समन) पत्र संख्या 350, दिनांक 15.06.2026 की कॉपी]
हालाँकि, 19 मई को DCO पूर्वी सिंहभूम के उपलब्ध न होने के कारण, यह बैठक स्थगित कर दी गई और सभी पक्षों को सूचित किया गया कि उन्हें किसी अन्य तारीख पर बुलाया जाएगा।

उक्त नोटिस की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए गैर-कानूनी AGM की असलियत की जांच करने के बजाय, JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष ने इस असंवैधानिक रूप से बनी वेलफेयर कमिटी को मान्यता दे दी, जिससे सरकारी आदेशों को बार-बार न मानने की उनकी आदत फिर से दिखाई दी।
इसके अलावा, यथास्थिति (Status-Quo) बनाए रखने के बजाय, JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष ने वेलफेयर फंड से पैसा निकालकर इस अनधिकृत वेलफेयर कमिटी से जुड़े लोगों को फिर से बांट दिया है।

4. चौथा आरोप – कंक्रीट का काम (Concretization) – **NGT के आदेश का उल्लंघन।**
हाल ही में देखा गया कि राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में अंदरूनी सड़क और खेल के मैदान के बीच की जगह पर कंक्रीट का काम किया जा रहा है। इस जगह पर बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ों के तनों के चारों ओर कंक्रीट से ढलाई कर दिया जा रहा है, जो एक अपराध है और माननीय NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का उल्लंघन है।

मैंने 22.07.2026 के एक पत्र के माध्यम से JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष को माननीय NGT के आदेश का उल्लंघन करके की जा रही इस प्रतिबंधित गतिविधि के बारे में सूचित किया। लेकिन, ऐसी शिकायतें मिलने के बावजूद, समिति के अध्यक्ष ने बिना किसी आपत्ति के मौन रहना ही ठीक समझा और प्रतिबंधित गतिविधियों को जारी रहने का मौका दिया। कॉलोनी में लगें पेड़ों के चारों तरफ RCC Concrete से ढलाई कर पक्का कर दिया जा रहा है जो कि NGT (National Green Tribunal) के नियमों का उलंघन है।
[Annex – 15 : शिकायतकर्ता के 22.07.2026 के पत्र की कॉपी]

5. पांचवां आरोप – अतिक्रमण (Encroachments) - Concretization का यह काम राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में प्रॉपर्टी की सीमाओं के बाहर आम ज़मीन पर किए जा रहे अतिक्रमण का ही एक हिस्सा है।
प्लॉट नंबर 72, 73, 74 और 60 के प्लॉट धारक वेलफेयर समिति के सदस्यों के मिलीभगत से ऐसा अतिक्रमण कर रहे हैं; ये लोग उन प्लॉट धारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो ऐसा गैर-कानूनी अतिक्रमण कर रहे हैं।
यह सारा गैर-कानूनी कंक्रीट का काम वेलफेयर फंड का गलत इस्तेमाल करके किया जा रहा है और JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष पूर्व के भांति फिर से चुप है और ऐसे गैर-कानूनी अतिक्रमण को जारी रखने का मौका दे रहें है।

6. छठा आरोप – खेल के मैदान/पेड़ों पर बिजली वितरण प्रणाली –
DCO, पूर्वी सिंहभूम ने पत्र संख्या 175, दिनांक 10.04.2026 के ज़रिए JCHB सोसाइटी लिमिटेड को निर्देश दिया था कि बिजली आपूर्ति/भूमिगत केबल का काम JCHB सोसाइटी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

JCHB सोसाइटी लिमिटेड ने महोदय (वर्तमान DCO, पूर्वी सिंहभूम) को एक प्रस्ताव भेजा है, जो फिर से माननीय NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का उल्लंघन है। जिला सहकारिता पदाधिकारी को अँधेरे में रखते हुए एवं गलत प्रस्ताव पारित करवा कर गुमराह करते हुए जुस्को या टाटा कंपनी बिजली विभाग से आवश्यक मंज़ूरी के बिना ही, JCHB सोसाइटी लिमिटेड ने फिर से उसी गैर-कानूनी तरीके से बिजली आपूर्ति / भूमिगत केबल का काम शुरू कर दिया है; जो माननीय NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का उल्लंघन है और बच्चों के खेलने के मैदान में 440V High Voltage के विद्युत उपकरण, Feeder Pillar, 3Phase Cable इत्यादिः लगाने के कारन Electrocution के खतरे के साथ, बच्चों को जानलेवा बिजली का झटका लगने का खतरा है जो की अत्यंत ही खतरनाक और असुरक्षित है।

महोदय को यह विशेष रूप से सूचित करना है की उक्त विषयों के संदर्व में एवं राजेंद्र नगर वेलफेयर समिति एवं जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के खिलाफ मेरे द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2026 को माननीय CJM के न्यायलय, जमशेदपुर सिविल कोर्ट में Complaint Case No. - 3002 / 2026, Dt. 14.08.2026 दर्ज कराया गया है जो की वर्तमान में माननीय CJM के न्यायलय, जमशेदपुर सिविल कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। इसकी सम्पूर्ण जानकारी जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को है एवं उक्त Complaint Case No. - 3002/2026 के न्यायलय में विचाराधीन रहने के दौरान महोदय (जिला सहकारिता पदाधिकारी) को गुमराह कर एक गैर-कानूनी काम को अंजाम देने के मकसद से, जिला सहकारिता पदाधिकारी के दफ़्तर को अंधेरे में रखकर, चालाकी से उनसे आदेश हासिल करने की कोशिश की गई है।

अतः महोदय से हमारा पुनः सविनय निवेदन है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्राप्त सुचना पर संज्ञान लेते हुए हमारे कॉलोनी में समिति के By - Laws एवं NGT (National Green Tribunal) के नियमों का उलंघन कर किये जा रहे अतिक्रमण, विद्युतीकरण (Under Ground Cable Laying & Distribution) एवं अन्य घरों के सामने सोसाइटी की ज़मीन पर RCC Concrete से ढलाई कर उन जगहों को भी अतिक्रमित करने को अविलम्ब रोकने और महोदया के कार्यालय के पत्रांक – 175, दिनांक – 10.04.2026 से पारित आदेश के अनुपालन हेतु उचित कार्रवाई करने का कृपा करें जिसके लिए मैं सदैव महोदया का आभारी रहूँगा।

धन्यवाद्।
भवदीय,

05/10/2026.

(अनुपम सिन्हा)
H.No. - 68, राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी (RNCC),
पोस्ट व थाना - साकची, जमशेदपुर – 831001.
Ph. - 9431166737.

प्रतिलिपि –
उपायुक्त महोदय, पूर्वी सिंघभूम, की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
अनुमंडल पदाधिकारी , धालभूम, जिला पूर्वी सिंघभूम, की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

पत्रांक–582 दिनांक–13.10.2026

प्रेषित,

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / प्रबंधकारिणी समिति सदस्यगण,
जमशेदपुर को–ऑपरेटिव
हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि0,
राजेन्द्र नगर, साकची, जमशेदपुर।

विषय :– **Under Ground Cable Line** निर्माण के संबंध में।
प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक–538, दिनांक–15.09.2026.

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में एक शिकायतकर्त्ता, श्री अनुपम सिन्हा के द्वारा कार्यालय में शिकायत पत्र दायर किया गया है।

उक्त के आलोक में प्रासंगिक पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए रोक लगायी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यथाशीघ्र इस कार्यालय को सूचित करे।

13/10/2026
जिला सहकारिता पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक–582 दिनांक–13.10.2026

प्रतिलिपि :– श्री अनुपम सिन्हा, मकान सं0–68, राजेन्द्र नगर (नई) को0–ऑपरेटिव कॉलोनी, साकची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/10/2026
जिला सहकारिता पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

पत्रांक– 538 दिनांक– 15/09/2026

प्रेषित,

अध्यक्ष,
जमशेदपुर को–ऑपरेटिव,
हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि0,
राजेन्द्र नगर, साकची, जमशेदपुर।

विषय :– **Under Ground Cable Line** निर्माण के संबंध में।
प्रसंग :– आपका पत्रांक–103, दिनांक–23.07.2026.

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–129, दिनांक–05.08.2026 की कंडिका 03 के आलोक में समिति की प्रबंधकारिणी कमिटी बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हुए उक्त कार्य के संपादन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई कर सकती है।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि कालान्तर में समिति की प्रबंध समिति पूर्ण रुप से अपने अनुश्रवण में वेलफेयर समितियों को सदस्यों के हित में उपविधि एवं प्रबंध समिति के निर्णयों के आधार पर कार्यान्वयन पर कार्यान्वयन करना/कराना सुनिश्चित करेंगे।

15/09/2026

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

R/C

दिनांक – 23.10.2026

सेवा में,

श्रीमान उपायुक्त महोदय
जिला - पूर्वी सिंहभूम
जमशेदपुर।

विषय - जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी वेलफेयर समिति के पदाधिकारीयों द्वारा किये गए वित्तीय अनिमितताएं एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय से निर्गत आदेश का उल्लंघन करने एवं वर्तमान जिला सहकारिता पदाधिकारी को गुमराह कर आदेश प्राप्त कर गैर कानूनी तरीके एवं माननीय NGT के स्पस्ट आदेशों का उल्लघन कर विद्युतीकरण (Under Ground Cable Laying & Distribution) कार्य करने के सम्बन्ध में आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्व में सविनय निवेदन है कि मैं अनुपम सिन्हा, पिता स्व. चंडी दास सिन्हा, H.No. 68, राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी, पोस्ट व थाना - साकची, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंघभूम का निवासी हूँ जो कि जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत एक कोऑपरेटिव कॉलोनी है।

महोदया को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी वेलफेयर समिति के पदाधिकारीयों द्वारा, दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में कॉलोनी के अंदर कुछ कार्य किया गया था जिसका पूरा खर्च कॉलोनी के वेलफेयर फंड के दुरूपयोग से किया गया था। वेलफेयर कमिटी के पदाधिकारीयों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों एवं नियमों का उल्लंघन कर लगभग ₹ 9,43,705/= के वेलफेयर फंड का दुरुपयोग किया।

मैंने सर्वप्रथम दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2026 को जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के समक्ष पत्रचार के माध्यम से इन विषयों पर अपना शिकाय दर्ज कराया था लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर अंततः मैंने दिनांक 9 अप्रैल 2026 को तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से अपना शिकायत दर्ज करवाया।

सुलभ प्रसंग हेतु मेरे द्वारा किये गए पत्राचार की छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की जा रही है।

3 मुख्य घटनाएं :

1. कॉलोनी के कुछ प्लॉट मालिकों की एक अनौपचारिक बैठक में फैसला किया गया कि कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर एक गार्ड रूम और ड्रॉप गेट बनाया जाएगा। काम शुरू करने के लिए ₹50,000 का अनुमानित बजट (Adhoc Budget) मंजूर किया गया और वेलफेयर फंड से ₹50,000 की राशि अस्थायी रूप से जारी की गई। कॉलोनी के अंदर के 18 प्लाट होल्डर्स को यह राशि बाद में इकट्ठा करके वेलफेयर अकाउंट में वापस जमा करने का बात तय हुआ था। ₹50,000 के अनुमानित बजट के इस प्रोजेक्ट का खर्च आखिरकार ₹1,46,705 तक पहुंच गया (यानी प्रस्तावित बजट का लगभग 3 गुना)।

लेकिन लागत बढ़ने पर बिना किसी चर्चा या समीक्षा के; वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों ने वेलफेयर कमिटी के बैंक खाते से पूरा रकम Cash में खर्च कर दिया।

23/10/26.

Page - 68.

2. इसी तरह, कॉलोनी में CCTV कैमरे लगाने के लिए वेलफेयर समिति के कोषाध्यक्ष - श्री विशाल त्रेहान ने 2 वेंडरों से 4 कोटेशन प्राप्त किये। ये 4 कोटेशन इस प्रकार थे –

i. M/s. पिक्सेल एंटरप्राइजेज़ - ₹ 35,370
ii. M/s. सूरज एंटरप्राइजेज़ - ₹ 49,400
iii. M/s. सूरज एंटरप्राइजेज़ - ₹ 50,200
iv. M/s. सूरज एंटरप्राइजेज़ - ₹ 55,800

M/s. सूरज एंटरप्राइजेज़ का सबसे ज़्यादा कोटेशन (₹ 55,800) को समिति के पदाधिकारियों द्वारा फाइनल किया गया। वेलफेयर फंड से फण्ड रिलीज़ करने के लिए M/s. सूरज एंटरप्राइजेज़ का यही ₹ 55,800 रुपये वाला कोटेशन JCHB सोसाइटी को सौंपा गया।
₹ 55,800 रुपये का सबसे ज़्यादा कोटेशन फाइनल होने के बावजूद, CCTV का काम "करण कुमार" नाम के किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर ₹ 91,440 रुपये में करवाया गया एवं लागत बढ़ने पर बिना किसी चर्चा या समीक्षा के, उक्त "करण कुमार" के नाम से ₹ 86,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया।

3. जनवरी 2026 में वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर, टाटा कंपनी पावर डिवीज़न या M/s. TSUSIL (JUSCO) से ज़रूरी मंज़ूरी लिए बिना, गैर-कानूनी और अनुचित तरीके से अंडरग्राउंड केबलिंग और बिजली वितरण का काम करने की कोशिश की।

JCHB सोसाइटी के नियमों (बाय-लॉज़) के क्लॉज़ 60(c) के अनुसार, सिविक यूटिलिटीज़ और सुविधाओं — जैसे पानी की सप्लाई, ड्रेनेज की सुविधा, लाइटिंग (बिजली) और ऐसी ही अन्य सुविधाओं का प्रबंधन जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। सिविक यूटिलिटीज़ से सम्बंधित ऐसे बड़े कार्य वेलफेयर समिति का दाइत्व नहीं है। वेलफेयर समिति को केवल साफ सफाई, डे तो डे मेंटेनेंस इत्यादिः करना है। इसके बावजूद भी वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों द्वारा उक्त कार्य को करने के लिए अवैध तरीके से वेलफेयर फंड से लगभग 7 लाख रुपये (पूरे नकद में) खर्च कर दिए गए।

महोदया को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि राजेंद्र नगर कोआपरेटिव कॉलोनी को बिजली, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज और सीवर सिस्टम, वगैरह जैसे सभी यूटिलिटी सर्विसेज टाटा कंपनी के द्वारा घरेलू दरों पर दी जा रही हैं। समिति के नियमों के अनुसार इस आवासीय कॉलोनी के अंदर कोई व्यावसायिक कार्य / कमर्शियल एक्टिविटी किया जाना आवंटन (Sub - Lease) के शर्तों का स्पस्ट उल्लंघन है मगर फिर भी वर्षों से हमारे कॉलोनी में होटल, गोदाम, डॉक्टरों के Clinic / OT इत्यादिः जैसे व्यावसायिक कार्य / कमर्शियल एक्टिविटी चल रहें हैं। M/s. TATA Steel Ltd. ने JCHBS Ltd. समिति को इस बारे में कई बार पत्र लिखकर चेतावनी जारी किए; फिर भी JCHBS Ltd. समिति के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। केवल ज़रूरी रिकॉर्ड Keeping के लिए ऐसे प्लॉट मालिकों को सिर्फ़ Notice भेज कर ऑफिस की औपचारिकता पूरी की जाती है।

जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा जांच / आदेश :

1. कथित गड़बड़ियों एवं वित्तीय अनिमितताएं की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम तथा अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम के निर्देशों के तहत; जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के द्वारा उक्त मामलों की 2 (दो) सदस्यीय जांच टीम के द्वारा जांच करवाई गयी जांच प्रतिवेदन के आधार पर; जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम ने पत्र संख्या - 175, दिनांक - 10.04.2026 के माध्यम से कुछ विशिष्ट टिप्पणियों और संबंधित निर्देशों के साथ एक विभागीय आदेश जारी किया। [जिला सहकारिता पदाधिकारी- पत्र संख्या - 175, दिनांक - 10.04.2026 की प्रति]

जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के उक्त आदेश के आलोक में JCHB सोसाइटी लिमिटेड द्वारा पत्र संख्या - HBS/48, दिनांक - 18.05.2026 के माध्यम से राजेंद्र नगर (नई) वेलफेयर समिति के सचिव को उक्त आदेश फॉरवर्ड किया गया।
[JCHB सोसाइटी लिमिटेड के पत्र संख्या - HBS/48, दिनांक - 18.05.2026 की प्रति]

उक्त पत्र में यह दर्ज था कि - "राजेंद्र नगर (नई) वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के आरोप सही पाए गए हैं"। वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे वेलफेयर कमिटी के बैंक अकाउंट से खर्च की गई या निकाली गई रकम वापस करें।
मगर लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद भी, उक्त सरकारी आदेश का कोई अनुपालन नहीं किया गया है।

जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा इन गैर कानूनी कार्यों को संरक्षण एवं श्रेय दिया जा रहा है। JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) श्री श्रीकृष्ण पांडेय लेटर नंबर HBS/332, 25.02.2026 के ज़रिए जिला सहकारिता पदाधिकारी को एक झूठा जवाब सौंपा। इसमें दी गई कई बातें झूठी, मनगढ़ंत और तथ्यों के विपरीत थीं।
[JCHB सोसाइटी के लेटर नंबर HBS/332, दिनांक 25.02.2026 की कॉपी]

i. उक्त लेटर नंबर HBS/332, 25.02.2026 के पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि - पिछले 3 (तीन) महीनों (यानी नवंबर 2025, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026) के दौरान बुलाई गई वेलफेयर कमिटी की जनरल बॉडी मीटिंग से जुड़े सभी दस्तावेज़ साथ में लगाए जा रहे हैं।
हालांकि, वास्तव में सच यह है कि नवंबर 2025 से जनवरी २०२६ तक वेलफेयर कमिटी की कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुई थी।

ii. पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि कुल 25 प्लॉट होल्डर्स में से 20 सदस्यों के हस्ताक्षर वाली अटेंडेंस शीट और मीटिंग के मिनट्स साथ में लगाए गए हैं।
हालांकि, असलियत यह है कि कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुई थी। बल्कि वेलफेयर समिति के पदाधिकारियों के द्वारा घर - घर जाकर झूठा आस्वाशन देकर कुछ प्लॉट होल्डर्स के हस्ताक्षर एक अलग कागज़ में प्राप्त कर जनरल बॉडी मीटिंग के मिनट्स जैसा दिखाकर JCHB समिति के कार्यालय में जमा किया गया था।

iii. पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि – CCTV का काम वेलफेयर कमिटी ने सबसे कम कोटेशन ("Lowest Budget") वाले वेंडर से करवाया था।
हालांकि, असल बात यह है कि यह बात पूरी तरह से गलत और झूठा है। असल में, सबसे ज़्यादा कोटेशन वाले वेंडर (सूरज एंटरप्राइजेज) को ₹55,800 (सबसे ज़्यादा कोटेशन) की लागत पर काम करने के लिए चुना गया था और बाद में किसी तीसरे के नाम से ₹ 91,440 का बिल दिखाकर ₹ 86,000 का भुगतान किया गया था।

iv. पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि – पिछले 3 (तीन) वर्षों की जनरल बॉडी मीटिंग्स में पास किए गए प्रस्तावों (यानी मीटिंग के मिनट्स और प्रस्ताव, आदि) से संबंधित दस्तावेज़ तैयार कर लिए गए हैं, जिनकी प्रतियां साथ में जमा की जा रही हैं।

हालांकि, असल बात यह है कि वेलफेयर कमिटी का गठन केवल 2 साल पहले अप्रैल, 2024 में पिछली AGM में हुआ था और अभी केवल 2 (दो) साल ही पुरे हुए हैं। इसके अलावा, इन 2 वर्षों के दौरान वेलफेयर समिति का एक भी जनरल बॉडी मीटिंग या AGM नहीं हुआ है।

अतः JCHB सोसाइटी लिमिटेड के प्रेसिडेंट द्वारा पत्र नंबर – HBS/332, तारीख – 25.02.2026 के उपरोक्त पॉइंट्स के माध्यम से दी गई जानकारी गलत और झूठी है; जो स्पष्ट रूप से समिति के अध्यक्ष के गलत नीयत को दर्शाती है। सरकारी विभाग के किसी पब्लिक सर्वेंट को गलत जानकारी देने जैसे कृत्य एक गंभीर अपराध है जिसके खिलाफ BNS की धारा 217 के तहत मुकदमा माननीय CJM के न्यायालय में विचाराधीन है।

जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष ने लेटर नंबर HBS/41, तारीख 12.05.2026 के ज़रिए एक आदेश बनाया और जानबूझकर इस बनावटी और मनगढ़ंत लेटर को सभी वेलफेयर कमेटियों को भेजा, जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी के सरकारी आदेश के एक हिस्से के शब्दों को अंग्रेज़ी में बदल कर गलत तरीके से पेश किया गया।

जिला सहकारिता पदाधिकारी के आदेश लेटर नंबर – 175, तारीख – 10.04.2026 में कहा गया है – "यह निर्देश दिया जाता है कि वेलफेयर समिति के सदस्यों को नियमानुसार समिति का हिस्साधारक बनाना सुनिश्चित करें।"
यानी – वेलफेयर कमेटी के मौजूदा सदस्यों (जो अभी JCHB सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य नहीं हैं) को सोसाइटी के नियमों के अनुसार कानूनी तौर पर JCHB सोसाइटी लिमिटेड का सदस्य (शेयरहोल्डर) बनाना सुनिश्चित करें।

मगर बताए गए सरकारी आदेश को सम्पूर्ण तरीके से उलट कर, जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष ने लेटर नंबर HBS/41, तारीख 12.05.2026 के ज़रिए, सरकारी अधिकारी द्वारा जारी सरकारी आदेश का गलत हवाला दिया और (अंग्रेज़ी में) कहा – "इसमें साफ निर्देश है कि गैर-सदस्य वेलफेयर कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे", जिसके परिणामस्वरूप मूल निर्देश पूरी तरह से उलट गया और दस्तावेज़ "शुरुआत से ही अमान्य" ("void ab initio") हो गया।
[लेटर नंबर HBS/41, तारीख 12.05.2026 की कॉपी]

नकली कल्याण समिति (Welfare Committee) का गठन –
सोसाइटी के पत्र संख्या HBS/41 (दिनांक 12.05.2026) के बाद, एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सचिव / सहायक सचिव के तौर पर हस्ताक्षर करके AGM का एक नकली नोटिस (दिनांक 12.06.2026) जारी किया गया।
मैंने 15.06.2026 को ही एक शिकायत पात्र के माध्यम से JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष को इस अनधिकृत और अवैध बैठक के बारे में सूचित किया।
[शिकायत पत्र (दिनांक 15.06.2026) और नकली नोटिस (दिनांक 12.06.2026) की कॉपी]

मैंने ने 15.06.2026 के पत्र की कॉपी के साथ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम और अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम को भी इस अनधिकृत और अवैध बैठक के बारे में सूचित किया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम ने तुरंत पत्र संख्या 350 (दिनांक 15.06.2026) के माध्यम से एक नोटिस जारी किया, जिसमें सभी संबंधित पक्षकारों को 19.05.2026 को जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय में बुलाया गया।

हालाँकि, 19 मई को जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम के उपलब्ध न होने के कारण, यह बैठक स्थगित कर दी गई और सभी पक्षकारों को सूचित किया गया कि उन्हें किसी अन्य तारीख पर दुबारा बुलाया जाएगा। [नोटिस (समन) पत्र संख्या 350, दिनांक 15.06.2026 की कॉपी]

उक्त नोटिस की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष ने इस असंवैधानिक रूप से बनी नये वेलफेयर कमिटी को मान्यता दे दी। इसके अलावा, यथास्थिति (Status-Quo) बनाए रखने के बजाय, JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष के द्वारा बिना किसी समीक्षा के, वेलफेयर फंड से पैसा निकलकर इस अनधिकृत कल्याण समिति के सदस्यों को जारी कर दिया गया।

कंक्रीट का काम (Concretization) – NGT के आदेश का उल्लंघन।

पिछले कुछ महीनों से राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में अंदरूनी सड़क और खेल के मैदान के बीच की जगह पर कंक्रीट का काम किया जा रहा है। इस जगह पर बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ों के तनों के चारों ओर कंक्रीट से ढलाई कर दिया जा रहा है, जो माननीय NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का उल्लंघन है।

मैंने 22.07.2026 के एक पत्र के माध्यम से JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष को माननीय NGT के आदेश का उल्लंघन कर किये जा रहे इस प्रतिबंधित गतिविधि के बारे में सूचित किया। लेकिन, ऐसी शिकायतें मिलने के बावजूद, समिति के अध्यक्ष ने बिना कोई कार्रवाई किये प्रतिबंधित गतिविधियों को जारी रहने का मौका दिया। कॉलोनी में लगें पेड़ों के चारों तरफ RCC Concrete से ढलाई कर पक्का कर दिया जा रहा है जो कि NGT (National Green Tribunal) के नियमों का उलंघन है।
[शिकायतकर्ता के 22.07.2026 के पत्र की कॉपी]

अतिक्रमण (Encroachments) - Concretization का यह काम राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में प्रॉपर्टी की सीमाओं के बाहर सोसाइटी के ज़मीन पर किए जा रहे अतिक्रमण का ही एक हिस्सा है।
मुख्य रूप से प्लॉट नंबर - 72, 73, 74 और 60 के प्लॉट धारक, वेलफेयर समिति के सदस्यों के मिलीभगत से ऐसा अतिक्रमण कर रहे हैं।

यह सारा गैर-कानूनी काम वेलफेयर फंड का गलत इस्तेमाल करके किया जा रहा है और JCHB सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष पूर्व के भांति ऐसे गैर-कानूनी अतिक्रमण को जारी रखने का मौका दे रहें है।

खेल के मैदान पर बिजली वितरण उपकरण लगाना –

जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम ने पत्र संख्या 175, दिनांक 10.04.2026 के ज़रिए JCHB सोसाइटी लिमिटेड को निर्देश दिया था कि बिजली आपूर्ति / भूमिगत केबल का काम JCHB सोसाइटी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
JCHB सोसाइटी लिमिटेड ने महोदय (वर्तमान जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम) को एक प्रस्ताव भेज कर, जिला सहकारिता पदाधिकारी को अँधेरे में रख कर गुमराह करते हुए जुस्को या टाटा कंपनी बिजली विभाग से आवश्यक मंज़ूरी के बिना ही, JCHB सोसाइटी लिमिटेड ने फिर से उसी गैर-कानूनी तरीके से बिजली आपूर्ति / भूमिगत केबल का काम शुरू कर दिया है; जो माननीय NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का उल्लंघन है और बच्चों के खेलने के मैदान में 440V High Voltage के विद्युत उपकरण, Feeder Pillar, 3Phase Cable, इत्यादिः लगाने के कारन Electrocution के खतरे के साथ, बच्चों को जानलेवा बिजली का झटका लगने का खतरा है जो की अत्यंत ही खतरनाक और असुरक्षित है।

महोदय को यह विशेष रूप से सूचित करना है की उक्त विषयों के संदर्व में एवं राजेंद्र नगर वेलफेयर समिति एवं जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के खिलाफ मेरे द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2026 को माननीय CJM के न्यायलय, जमशेदपुर सिविल कोर्ट में Complaint Case No. - 3002 / 2026, Dt. 14.08.2026 दर्ज कराया गया है जो की वर्तमान में माननीय CJM के न्यायलय, जमशेदपुर सिविल कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। इसकी सम्पूर्ण जानकारी जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को है एवं उक्त Complaint Case No. - 3002/2026 के न्यायलय में विचाराधीन रहने के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी को गुमराह कर एक गैर-कानूनी काम को अंजाम देने के मकसद से, जिला सहकारिता पदाधिकारी के दफ़्तर को अंधेरे में रखकर, चालाकी से उनसे आदेश हासिल करने की कोशिश की गई है।

अतः महोदय से हमारा पुनः सविनय निवेदन है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्राप्त सुचना पर संज्ञान लेते हुए हमारे कॉलोनी में समिति के By - Laws एवं NGT (National Green Tribunal) के नियमों का उलंघन कर किये जा रहे अतिक्रमण, विद्युतीकरण (Under Ground Cable Laying & Distribution) एवं अन्य घरों के सामने सोसाइटी की ज़मीन पर RCC Concrete से ढलाई कर उन जगहों को भी अतिक्रमित करने को अविलम्ब रोकने और जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के पत्रांक – 175, दिनांक – 10.04.2026 से पारित आदेश के अनुपालन हेतु उचित कार्रवाई करने का कृपा करें जिसके लिए मैं सदैव महोदया का आभारी रहूँगा।

धन्यवाद्।
भवदीय,

Anupam Sinha
23/10/2026.

(अनुपम सिन्हा)
H.No. - 68, राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी (RNCC),
पोस्ट व थाना - साकची, जमशेदपुर – 831001.
Ph. - 9431166737.

प्रतिलिपि –
अनुमंडल पदाधिकारी , धालभूम, जिला पूर्वी सिंघभूम, की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

पत्रांक– 603 दिनांक– 24/10/2026

प्रेषित,

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / प्रबंधकारिणी समिति सदस्यगण,
जमशेदपुर को–ऑपरेटिव
हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि0,
राजेन्द्र नगर, साकची, जमशेदपुर।

विषय :– **Under Ground Cable Line** निर्माण के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक–538, दिनांक–15.09.2026 एवं पत्रांक–582, दिनांक–13.10.2026.

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के आलोक में कहना है कि समिति की प्रबंध समिति पूर्ण रुप से अपने अनुश्रवण में सदस्यों के हित में झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों एवं समिति की अद्यतन उपविधि के प्रावधानों के अनुसार विधिवत समुचित निर्णय लेते हुए कार्य संपादन में सक्षम है।

विधिवत अनुपालन नहीं करने की स्थिति में अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत समिति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

24/10/2026

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक– 603 दिनांक– 24/10/2026.

प्रतिलिपि :– श्री अनुपम सिन्हा, राजेन्द्र नगर (नई) को0–ऑपरेटिव कॉलोनी, साकची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/10/2026

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(10)

दिनांक – 22.10.2026

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय

Jharkhand State Commission for Protection of Child Rights,

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,

झारखण्ड सरकार ,

रांची , झारखण्ड |

झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
दिनांक 321
26.10.2026
झारखण्ड, राँची

विषय - जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी, साकची में बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर चारों तरफ 440V विद्युत उपकरण लगाकर बच्चों के जीवन को खतरे में डालने के सम्बन्ध में |

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्व में निवेदन पूर्वक कहना है कि जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, जमशेदपुर के अंतर्गत आवासीय कॉलोनी राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी में बिजली वितरण करने के लिए लिए नियमों का उलंघन कर बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर चारों तरफ 440 Voltage के विद्युत उपकरण लगाकर कॉलोनी के घरों में गैर कानूनी तरीके से बिजली सप्लाई देने का कार्य किया जा रहा है।

कॉलोनी में बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर चारों तरफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवं अन्य 440 Voltage विद्युत उपकरण, Feeder Pillar इत्यादिः लगाकर 440 Volts केबल्स से कॉलोनी के सभी घरों को बिजली सप्लाई करने के लिए जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा टाटा कंपनी (Service Provider) के अनुमति के बगैर के अनुमति के बगैर NGT (National Green Tribunal) के स्पस्ट निर्देशों का भी उल्लंघन कर जबरन प्राइवेट पार्टी के द्वारा गैर कानूनी तरीके से काम को करने का प्रयास किया जा रहा है।

महोदय को सूचित करना चाहते हैं की खेलने के मैदान पर (Playground) पर 440 Voltage विद्युत उपकरण, Feeder Pillar, इत्यादिः लगाना बच्चो के लिए खरतनाक व असुरक्षित है। बच्चों का किसी भी समय बिजली द्वारा प्राणदण्ड का खतरा हो सकता है क्योंकि फीडर पिलर बॉक्स में किसी भी तरह के Leakage Current की वजह से उन्हें जानलेवा बिजली का झटका लगने या आर्क फ्लैश (Arc Flash) का गंभीर खतरा हो सकता है। फीडर पिलर बॉक्स में पानी घुसने, बारिश एवं हवा में नमी के कारण पानी जमने (Condensation), पुराने या गर्मी से खराब हुए Insulation एवं इलेक्ट्रिकल केबलों और अन्य High Voltage विद्युत उपकरणों में Capacitance के कारण लीकेज करंट की समस्या हो सकती है। यह बच्चों एवं आम जन-जीवन के लिए एक स्थायी जान-लेवा खतरा होगा, जो समय के साथ और भी गंभीर होता जाएगा। समय के साथ पुरानी और गर्मी से खराब हो चुकी Cable Insulation और Bus-Bar Support के कारण अनचाहा करंट Metal Enclosure और ग्राउंड में रिस सकता है। पूर्व में देश के कई जगहों पर मैदान या पार्क में लगे विद्युत उपकरणों से लीकेज करंट की वजह से बिजली के झटके या Arc Flash लग कर मासूम बच्चों को जान गवाना पड़ा है।

प्रा. प्रदत्त
26.10.2026
Mrs. R.
26/10

22/10/26.

Page - 75.

वर्तमान में हमारे कॉलोनी का बिजली सप्लाई मैदान से काफ़ी दूर घरों के पास लगे बिजली के खम्बों से किया जा रहा है जो की अभी Overhead Wires से Connected है जिसे सिर्फ Underground करने की ज़रुरत है। यह कार्य एक खम्बे से दूसरे खम्बे तक सीधे - सीधे Underground Cable डाल कर आसानी से किया जा सकता है मगर केवल मात्र कुछ चुनिंदे लोंगो के द्वारा गैर क़ानूनी तरीके से किये गए अतिक्रमण को संरक्षित रखने के लिए बेवजह बच्चों के खेलने के मैदान में बिजली उपकरणों को लगाकर पुरे कॉलोनी को खतरे में डाला जा रहा है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। पूर्व में भी अप्रैल 2026 में जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा इन विषयों पर जाँच कर जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को नियमानुसार कार्य करने का आदेश दिया गया था मगर समिति द्वारा पूर्व में पारित आदेशों का उल्लंघन कर एवं NGT (National Green Tribunal) के स्पस्ट निर्देशों का भी उल्लंघन कर इस कार्य को फिर से गैर कानूनी तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः महोदय से सविनय निवेदन है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्राप्त सुचना पर संज्ञान लेते हुए हमारे कॉलोनी में नियमों का उलंघन कर किये जा रहे विद्युतीकरण कार्यों को अविलम्ब रोकने और बच्चों एवं आम जान-जीवन के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भविष्य में भी बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवं अन्य 440 Voltage विद्युत उपकरण, Feeder Pillar, इत्यादिः न लगाने के लिए सम्बंधित आदेश पारित करते हुए पूर्वी सिंघभूम जिला प्रशाशन को आवश्यक दिशा निर्देश देने एवं इस सन्दर्भ में अन्य उचित कार्रवाई करने का कृपा करें जिसके लिए मैं सदैव महोदय का आभारी रहूँगा।

धन्यवाद्।
भवदीय,

22/10/2026.

(अनुपम सिन्हा)
H.No. - 68, राजेंद्र नगर (नई) कॉलोनी (RNCC),
पोस्ट व थाना - साकची, जमशेदपुर -- 831001.
Ph. - 9431166737.

संलग्नित –
जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश क्र. -- 175, दिनांक -- 10.04.2026

प्रतिलिपि –
उपायुक्त महोदय, पूर्वी सिंघभूम, की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

Jharkhand State Commission for Protection Of Child Rights (JSCPCR)
झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
Artisan Hostel, Ground Floor, Golchakkar, Dhurwa, Ranchi,
Jharkhand, Pin Code-834004, Email-jscpcr@gmail.com

पत्रांकः–JSCPCR/CASE/27/2026- 168

प्रेषक,

सदस्य–सचिव,
झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राँची।

सेवा में,

उपायुक्त,
पुर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

दिनांकः–26.10.2026

विषयः– **जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अन्तर्गत राजेन्द्र नगर (नई) कॉलोनी, साकची में बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर चारों तरफ 440 V विद्युत उपकरण लगाकर बच्चों के जीवन को खतरे में डालने के संबंध में।**

प्रसंगः– श्री अनुपम सिन्हा, H.N-68, राजेन्द्र नगर (नई) कॉलोनी, साकची, जमशेदपूर के द्वारा आयोग कार्यालय को प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक–26.10.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अभ्यावेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि आवेदक श्री अनुपम सिन्हा, H.N-68, राजेन्द्र नगर (नई) कॉलोनी, साकची, जमशेदपूर ने आयोग को प्रेषित आवेदन के माध्यम से अवगत कराया है कि जमशेदपुर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के अन्तर्गत राजेन्द्र नगर (नई) कॉलोनी, साकची में **बच्चों के खेलने के मैदान (Playground) पर चारों तरफ टाटा कंपनी के अनुमति के बगैर, जबरन प्राईवेट पार्टी के द्वारा गैर–कानूनी तरीके से 440 V विद्युत उपकरण लगाने का प्रयास किया जा रहा है।**

अनुरोध है कि प्रासंगिक अभ्यावेदन के आलोक में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत जाँचोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
जयश्री टोप्पो
26.10.2026
(जयश्री टोप्पो)
सदस्य–सचिव
झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,

ज्ञापांकः– JSCPCR/CASE/27/2026- 168 दिनांकः– 26.10.2026
प्रतिलिपिः–श्री अनुपम सिन्हा, H.N-68, राजेन्द्र नगर (नई) कॉलोनी, साकची, जमशेदपूर को सूचनार्थ प्रेषित।

जयश्री टोप्पो
26.10.2026
सदस्य–सचिव
झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,